भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 256

कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विभेद का उन्मूलन

अप्रैल, 2015

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाा : 23736758 फैक्स : 23355741

ख्द्वद्मद्यत्ड्ढ एत्र्द द्धद्रठ्ठत्ठ्ठद्मण चण्ठ्ठण
क्ष्दृद्धथ्र्ड्ढद्ध ग्र्ण्ड्ढढ ख्द्वद्मद्यत्ड्ढ दृढ ड्डथ्ण्त द्रत्ढ्ढ्रण ख्र्दृद्वद्धद्द
ग्र्ण्ठ्ठत्द्धथ्र्ठ्ठद
ख्ठ्ठ्ठ ख्र्दृथ्र्त्द्मद्मत्दृद दृढ ख्द्ध्ड्ढत्ठ्ठ
ख्दृध्ड्ढद्धदथ्र्ड्ढदद दृढ ख्द्ध्ड्ढत्ठ्ठ
ग्त्दड्डद्वद्मद्यठ्ठद त्र्थ्र्ड्ढद्म ग्द्र्दृद्वद्मड्ढ
ख्.ख्. ठ्ठद्धद्म, ग्ड्ढ्ठ ड्डथ्ण्त-110 001
द्धड्ढथ्ड्ढद्रण्दृदड्ढ : 23736758, क्षठ्ठन् : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)273/2015-एल.सी.(एल.एस.·) तारीख : 07 अप्रैल, 2015

प्रिय श्री सदानन्द गौड़ा जी,

तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के निर्देश पर, भारत के विधि आयोग ने ऐसी विधियों को चिह्नित करने का कार्य अपने हाथ में लिया जिसे या तो निरसित किया जा सके या जिसे विद्यमान आर्थिक वैश्वीकरण की परिस्थितियों में संशोधित करने की आवश्यकता है । अपनी चार रिपोर्टों अर्थात् रिपोर्ट सं. 248-251 के माध्यम से आयोग ने 288 अप्रचलित विधियों के निरसन की सिफारिश की । अपनी रिपोर्ट सं. 249 में, आयोग ने कु-ठ रोगी अधिनियम, 1898 को सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसित करने की सिफारिश की । तथापि, भारतीय कु-ठ रोग मिशन ट्रस्ट के अनुरोध पर, आयोग ने कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विभेदकारी विधियों को संशोधित करने/निरसित करने का अध्ययन आरंभ किया ।

कु-ठ रोग प्रचीनतम ज्ञात रोगों में से एक है, किंतु इसके निदानशास्त्र, कारणत्व, संचरण के माध्यम से और साध्यता सहित इसके सभी पहलुओं में यह भ्रामक बना हुआ है । आज भी, यह बुरे रोगों में से एक है । व-र् 2014 में, भारत में विश्वतः नए कु-ठ रोग मामलों की सर्वाधिक संख्या थी (58%) । व-र् 2005 से 2014 तक, रा-ट्रीय कु-ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.) द्वारा प्रत्येक व-र् 1.25 से 1.35 लाख की दर से नए मामले अभिलिखित किए गए जिसमें अधिकांशतः बच्चे होने के कारण, बहुत कम आयु में ही अलगाव और विभेद से भयाक्रांत हैं ।

यद्यपि, कु-ठ रोग अप्रतिरोध्य निर्योग्यताएं कारित कर सकता है किंतु आर्युविज्ञान में उन्नति के साथ अब यह पूर्णतः साध्य रोग है जिसे बहु-ओ-ाधि रोगोपचार के माध्यम से स्वयं उपचार के पूर्वास्था में असंक्राम्य बनाया जा सकता है और जिसने अकेले दो दशकों में 15 मिलियन से अधिक लोगों का उपचार किया । भारत सरकार ने कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित

· ÉÊxÉ´ÉÉºÉ : 1, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम चलाए हैं और यहां तक कि उपचार के नए और अधिक प्रभावी तरीकों की खोज जारी है ।

तथापि, कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की प्रास्थिति को बढ़ाने में मुख्य बाधा कु-ठ रोग से जुड़ा सामाजिक कलंक है । जीवन के कई क्षेत्रों में, कई व्यक्तियों को समाज से निरंतर बहि-कृत किया जाता है ।

दूसरी समस्या भारतीय विधियों की है जो लगातार कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः पक्षपात करते रहते हैं । व-र्ा 2010 में संयुक्त रा-ट्र महासभा ने एकमत से कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद के उन्मूलन के संकल्प के साथ ऐसे व्यक्तियों के रहन-सहन स्तर को सुधारने के उपायों के सूचीबद्ध सिद्धांतों और मार्गदशकों को अंगीकार किया । इसके अतिरिक्त, संयुक्त रा-ट्र निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का अभिसमय, 2007 (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) सभी निःशक्त व्यक्तियों के सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के पूर्ण और समान उपभोग को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करता है ।

भारत ने यू.एन.सी.आर.पी.डी. पर हस्ताक्षर किए हैं और अभिपुि-ट की है तथा उस यू.एन. महासभा का सदस्य है जिसने एकमत से कु-ठ रोग के उन्मूलन का संकल्प पारित किया है । तथापि, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किसी विधान को उपांतरित करने या निरसित करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है । संविधान के अधीन, भारत संघ के पास कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विभेद का उन्मूलन करने की व्यापक विधि अधिनियमित करने की बाध्यता और सक्षमता दोनों है । यह अब अत्यंत आवश्यक हो गया है ।

अनेक बैठकें और चर्चाओं के पश्चात्, इस चिंता को ठीक-ठीक दूर करने के लिए, भारत के विधि आयोग ने ''कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति और उनको लागू विधिञ्ज शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सं. 256 को अंतिम रूप दिया है और सरकार द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत है ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(**अजित प्रकाश शहा**)

श्री डी, वी. सदानन्द गौड़ा
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

रिपोर्ट सं. 256
कु-ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विभोद उन्मूलन

वि-ाय-सूची

अध्याय		शी-र्क	पृ-ठ
ख.		**प्रस्तावना और रिपोर्ट की पृ-ठभूमि**	6
ख.ख.		**कु-ठ रोग और भारत में कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की प्रास्थिति : परिवर्तन की आवश्यकता**	11
	क.	कु-ठ रोग की व्याख्या	11
	ख.	कु-ठ रोग प्रतिवेशी तथ्य और मिथक	13
	ग.	कु-ठरोग की व्यापकता	14
	घ.	निवारक और आरोग्य उपचार	15
ख.ख.ख.		**कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने के लिए अब तक किए गए प्रयास**	20
ख.ज.		**घरेलू विधिक ढांचा : भारत में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विभेद का सुकर बनाया जाना**	23
ज.		**कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए अंतरर-ट्रीय प्रयास**	28
ज.ख.		**कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में अन्य अधिकारिताओं में किए गए व्यवहार**	32
	(त)	**अजर्बेजान**	33
	(त्त)	**कोस्टारिका**	34
	(त्त्त)	**इक्वेडोर**	34
	(त्द)	**मिश्र**	35
	(द)	**फिनलैण्ड**	35
	(ध्त)	**ग्रीस**	36
	(ध्त्त)	**जापान**	37
	(ध्त्त्त)	**कोरिया**	37

	(त्न)	ओमान	38
	(न)	यूक्रेन	38
ज्ख्द्र.		सिफारिशें	40
	क.	विधियों का निरसन या संशोधन	40
		(त) स्वीय विधियां	40
		(त्त) भिक्षावृत्ति विधि	40
		(त्त्त) व्यक्ति निःशक्तता अधिनियम, 1995 और निःशक्तता व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2014	41
		(त्ध) राज्य नगरपालिक और पंचायती राज्य अधिनियम	42
	ख.	सकारात्मक कार्रवाई की मांग	43
		(त) विभेद के विरुद्ध उपाय	44
		(त्त) भूमि अधिकार	45
		(त्त्त) रोजगार का अधिकार	46
		(त्ध)शैक्षणिक और प्रशिक्षण अवसर	47
		(ध) भा-ग का समुचित प्रयोग	48
		(ध्त) संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार	48
		(ध्त्त) उपचार के दौरान रियायतें	49
		(ध्त्त्त) सामाजिक जागरुकता	50
		(त्न) कल्याण उपाय	50
	ग.	संक्षिप्तांश	
		(त) विधियों और उपबंधों का निरसित किया जाना	51
		(त्त) विधियों को उपांतरित या संशोधित किया जाना	51
		(त्त्त) क्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने वाले उपबंध	52
		उपाबंध	55-71

अध्याय 1
प्रस्तावना और रिपोर्ट की पृ-ठभूमि

1.1 भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के 24 जून, 2014 के पत्र के अनुसार, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए. पी. शहा की अध्यक्षता में भारत के 20वें विधि आयोग ने ऐसी विधियों की पहचान करने का कार्य आरंभ किया जिन्हें विद्यमान आर्थिक वैश्वीकरण के वातावरण के आलोक में या तो निरसित किया जा सके या परिवर्तित करने की आवश्यकता है ।

1.2 विधि आयोग द्वारा **"विधिक अधिनियमितियां : सरलीकरण और साधारणीकरणङ्ख** शी-िक से उठाए गए अध्ययन ने विधि, नियम, विनियम और परिपत्र ("विधियांङ्ख) जो भारत में प्रवृत्त है और जिन्हें तत्काल निरसित या संशोधित करने की अपेक्षा है, पर चार अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की ।

1.3 "अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकताङ्ख पर अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट सं. 249 में, 20वें विधि आयोग ने सुसंगत राज्यों के परामर्श से 1898 के कु-ठ रोगी अधिनियम (अधिनियम 3) को निरसित करने की सिफारिश की । कु-ठ रोगी अधिनियम की धारा 1(3) में यह अधिदेश है कि यह तब तक किसी राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त नहीं होगा जब तक संबद्ध राज्य सरकार इस आशय की घो-ाणा नहीं करता है । आम धारणा के प्रतिकूल, कु-ठ रोगी अधिनियम भारत की कानूनी पुस्तक में बना हुआ है, फिर भी, गुजरात, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और महारा-ट्र राज्य और दिल्ली, अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्रों ने अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर इसके लागू होने को निरसित कर दिया है । अधिनियम अकिंचन कु-ठ रोगियों के अपवर्जन, पृथक्करण और चिकित्सा उपचार का उपबंध करता है । यह स्कु-ठ रोगी आश्रय स्थल- की स्थापना और इन आश्रय स्थलों में कार्मिकों के नियोजन शर्तों का भी उपबंध करता है ।

1.4 विधि आयोग ने यह पहचाना कि कु-ठ रोगी अधिनियम बहु-ओ-ाधि रोगोपचार ("एमडीटीङ्ख) के माध्यम से कु-ठ रोग और इसके उपचार की आधुनिक सोच की

समकालीनता के बिल्कुल परे है ।[1] अपने संप्रेक्षणों के परिणामस्वरूप, आयोग ने अधिनियम के अधीन कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के बलात अपवर्जन और पृथक्करण के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी होने के फलस्वरूप अधिनियम के निरसन की सिफारिश की ।[2]

1.5 विधि आयोग ने अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट सं. 249 में भी यह अभिस्वीकृति की है कि भारत उस यू.एन. महासभा का सदस्य है जिसने एकमत से कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद के उन्मूलन, 2010 (ए/आर.ई.एस./65/215) (“कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों पर यू.एन. संकल्पञ्ज)[3] का संकल्प पारित किया । दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में यथावर्णित कु-ठ रोगी अधिनियम इस संकल्प की भावना के विरुद्ध है, अतः, ऐसे राज्यों के परामर्श से तत्काल निरसन की अपेक्षा है जो अपने संबद्ध राज्यक्षेत्रों में लागू किए हुए हैं ।

1.6 दूसरी अंतरिम रिपोर्ट के विमोचन के पश्चात्, भारतीय कु-ठ रोग मिशन ट्रस्ट ने कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को लागू विधियों की बावत आगे कार्रवाई करने के लिए व-र्ा 2014 के उत्तरार्द्ध में विधि आयोग से संकर्प किया ।

1.7 भारतीय कु-ठ रोग मिशन ट्रस्ट (“टी.एल.एम.टी.आईञ्ज) की स्थापना बेलेजली बेली[4] द्वारा “कु-ठ रोगियों के प्रति मिशनञ्ज के रूप में 1874 में की गई । अपने 140 व-र्ा के अस्तित्व में, टी.एल.एम.टी.आई. ने कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को सम्मिलित

---

[1] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 57, “+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ : iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÆiÉÉÉ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 249, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, (+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014) {Éß-~ 32-33 (“ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 249”) *

[2] -- ´ÉcÉÒ --

[3] ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 249 (ÉÊ].1)

[4] “càÉÉ®É <ÉÊiÉcÉºÉ” £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÖE-~ ®ÉäMÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ]Åº] (]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® <http://www.Tlmindia.org/index.php/about-us/who-we-are/our-history> 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ *

करते हुए एक व्यापक सहयोगकारी तथा देश-व्यापी परामर्श के माध्यम से कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के फायदे के लिए विभिन्न प्रयास किए और इसका भार अपने ऊपर लिया जिसमें जागरुकता और समर्थन कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल और संपो-णीय आजीविका उपाय, तथा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सम्मिलित है ।[5] तथापि, भारत की इस घो-णा के पश्चात् कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (''डब्ल्यू.एच.ओ.ङ्क) मानक[6] के आधार पर कु-ठ रोग अब सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा नहीं रहा है, कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का कार्य भारतीय संदर्भ में अब कम महत्व का हो गया है जिससे भारत में कु-ठ रोग पर कार्य कर रहे टी.एल.एम.टी.आई. और अन्य समान संगठनों के लिए कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के आरोह्य उपाय के रूप में अपने प्रयासों को परिवर्तित करना दु:साध्य हो गया है । तथापि, कु-ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में उन्मूलन के इस मानक से भिन्न है ।

1.8 20वें विधि आयोग ने टी.एल.एम.टी.आई. की जागरुकता और समर्थन उपायों के माध्यम से कु-ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने के उसके प्रशंसनीय प्रयासों पर ध्यान दिया । आयोग ने विद्यमान विधियों, विनियमों, नीतियों, प्रथाओं और व्यवहारों के उपांतरण और निरसन की आवश्यकता को मान्यता प्रदान किया जो कु-ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उनके अपवर्जन, पृथक्करण और विभेद को बढ़ाते हैं । इन मताभिव्यक्तियों के आलोक में, विधि आयोग ने कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा झेले जा रहे विभेद को दूर करने के लिए नए आदर्श विधि के लिए अपने सकारात्मक सिफारिशों के साथ-साथ कु-ठ रोग से जुड़े विभेद और कलंक के स्तर पर सरकार को विस्तृत अंर्तदृ-टि उपलब्ध कराने के लिए ''कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद के उन्मूलनङ्क पर वर्तमान अध्ययन का कार्य

---

[5]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEEÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ''càÉÉ®ä ¤ÉÉ®ä àÉå'' {Éß-~ <http://www. Tlmindia.org/index.php/ about-us/who-we-are> 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEEÉä |ÉÉ{iÉ *

[6] {ÉÉÎ¤ãÉBÉE cäãlÉ |ÉÉ¤ãÉàÉ, b¤ãªÉÚ.A.+ÉÉä. (2000) BÉEä °ô{É àÉå BÉÖE-~ ®ÉäMÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEEÉÒ MÉÉ<b <http://www. Who.int/tep/resources/Guide_E.pdf?ua+1> 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEEÉä |ÉÉ{iÉ *

आरंभ किया ।

1.9 इस रिपोर्ट का दूसरा अध्याय कु-ठ रोग और कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की वर्तमान प्रास्थिति के बारे में है । तीसरा अध्याय भारत में कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों की परीक्षा करता है । चौथा अध्याय ऐसे घरेलू विधिक अवसंरचना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है जो कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विभेद को सुकर बनाता है, जबकि पांचवां अध्याय निःशक्तता से युक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त रा-ट्र अभिसमय, कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों पर यू.एन. महासभा संकल्प और कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद के उन्मूलन के लिए सिद्धांतों और मार्ग दर्शकों के माध्यम से इन चिंताओं को दूर करने के अंतरररा-ट्रीय प्रयासों पर फोकस करता है । छठा अध्याय कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में अन्य अधिकारिताओं के भूत और वर्तमान व्यवहारों की पूरी जानकारी प्रदान करता है । सातवां अध्याय विनिर्दि-ट उपबंधों और विधियों सहित सिफारिशों का उल्लेख करता है जिसमें निरसन, संशोधन या उपांतरण या सकारात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव की अपेक्षा है जो कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को समाज में शामिल करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है । अंतिम अध्याय भारत में एक प्रारुप विधान का प्रस्ताव करता है जो संविधान के अनुच्छेद 253 से अपनी विधायी क्षमता व्युत्पन्न कर कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद के उन्मूलन को पृ-ठांकित करता है ।

1.10 कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों पर वर्तमान अध्ययन करने और पूर्वोक्त मुद्दों पर विचार करते हुए प्रारुप विधान का कार्य आरंभ करने के लिए, आयोग ने अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर, प्रो. (डा.) मूलचन्द शर्मा, प्रो. (डा.) योगेश त्यागी, डा. अर्ध्यसेन गुप्ता, सुश्री यशस्विनी मित्तल और सुश्री वृन्दा भंडारी को मिलाकर एक उप समिति गठित की ।

1.11 आयोग श्री मुनीश कौशिक, सुश्री सीमा बाकर और सुश्री निकिता सहाय,

भारतीय कु-ठ रोग मिशन ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की विशे-ा सराहना भी अभिलेखबद्ध करना चाहता है जिनके विचार तीक्ष्ण, महत्वपूर्ण और विशे-ा उल्लेखनीय थे । आयोग विधि केंद्र फार लीगल पालिसी के श्री अर्ध्यसेन गुप्त और सुश्री यशस्विनी मित्तल और सुश्री सुमति चन्द्रशेखरन, आयोग के परामर्शी को इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके प्रशंसनीय प्रयासों की सराहना करता है । सुश्री आयुि अग्रवाल, विधि छात्र ने अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराई ।

1.12 इसके पश्चात्, व्यापक विचार-विमर्श, चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात् आयोग ने इस रिपोर्ट को आकार प्रदान किया ।

अध्याय 2
कु-ठ रोग और भारत में कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की प्रास्थिति : परिवर्तन की आवश्यकता

क. कु-ठ रोग की व्याख्या

2.1.1 कु-ठ रोग या हैनसेन रोग विश्व के प्राचीनतम रोगों में से एक है । प्राचीन हिंदू शास्त्र कु-ठ रोग का विनिर्दि-ट निर्देश करते हैं, जबकि 6ठी शताब्दी बी.सी. के आयुर्वेदिक पाठों में कु-ठ रोग के लक्षणों का उल्लेख है ।[7] प्राचीन मनुस्मृति भी विवाह को शासित करने वाले नियमों और विनियमों में अधिकथित करते हुए कु-ठ रोग की चर्चा करता है ।[8] तथापि, इसके प्राचीन इतिहास के बावजूद, रोग के रूप में कु-ठ रोग को व्यापकतः इसके निदानशास्त्र, कारण, संचरण के साधन और इसकी साध्यता सहित इसके सभी पहलुओं को गलत समझा जाता है ।[9]

2.1.2 कु-ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेपरे, एक दण्डाणु के प्रेरणार्थक अभिकर्ता द्वारा उत्पन्न होता है जिसकी पहली खोज व-र्ा 1873 में एक नार्वेजियन चिकित्सक गेरहार्ड आरम्योर हैनसेन द्वारा की गई ।[10] कु-ठ रोग से ग्रस्त एक अनुपचारित व्यक्ति हवा के

---

[7] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ "£ÉÉ®iÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉÖE-~ ®ÉäMÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÖxÉ& ºÉàÉäBÉExÉ"
<http://eci.nic.in/ECI_Main/DJ/Vocational%20and@20Rehabilitation@20and@20Reintegration%20of%20the%20Lepreosy%20Affected%20in%20India%20(page1-page114).Pdf> 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ *

[8] -- ´ÉcÉÒ --

[9] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ®, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <http://mohfw.nic.In/WriteReadData/1892s/982398480http.pdf>, 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ *

[10] ÉÊ¶ÉMÉäBÉEÉÒ ºÉBÉEÉàÉÉäiÉÉä "àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®-ÉnÂ ºÉÆBÉEã{É ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ : BÉÖE-~ ®ÉäMÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£Éän BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ "ªÉÚ AxÉ. àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®-ÉnÂ, bÉÒ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. ºÉÆ. A/ASÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ./A.ºÉÉÒ./3/ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.2 (31 VÉÚxÉ, 2009)

माध्यम से संक्रमण फैला सकता है ।[11] स्रोतों के अनुसार, कु-ठ रोग से प्रभावित 85% से अधिक व्यक्ति असंक्रामक हैं और कु-ठ रोग नहीं फैलाते, जबकि विश्व की 99% से अधिक जनसंख्या में प्राकृतिक असंक्राम्यता या कु-ठ रोग की प्रतिरोध शक्ति है।[12] कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में पीलापन और लाल त्वचा, हाथों या पैर में सुन्नपन या त्वचा के चकत्ते में अनुभव शून्यता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं ।[13] कु-ठ रोग की उद्भवन अवधि पांच व-र्ा से बीच व-र्ा तक भिन्न-भिन्न रहती है ।[14]

2.1.3 कु-ठरोग को व्यापकतः ऐसा मानवीय रोग जाना जाता है जिस मानव शरीर में माइकोवैक्टीरियम लेपरे का मुख्य भंडार होता है ।[15] यदि आरंभ में उपचार नहीं किया गया तो कु-ठ रोग ग्रेड -I (अर्थात् संवेदनात्मक विकृति या संकुचनों के बिना मांसपेशी दुर्बलता) या ग्रेड II (अर्थात् दृश्य विकृति, मांसपेशी क्षीणता या हड्डी की चरबी अवशो-ाण या संकुचन) की विकलांगता बढ़ा सकता है ।[16] कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में निःशक्तता लाने वाले प्रमुख कारकों में से एक कारक उन लोगों के लिए शीघ्र निदान या उचित उपचार लेने की उपेक्षा है जिनमें दर्द के अभाव, खुजली और अन्य ऐसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं ।[17] लंबी अवधि तक उपेक्षा प्रायः संक्रमण को और कठोर बनाता है, विकलांगता कारित करता है और द्वितीयक पायोजेनिक संक्रमण हाथ और पैर

---

[11] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ]. 9)

[12] ´ÉcÉÒ, "càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ àÉå BÉÖE-~ ®ÉäMÉ", ÉÊxÉ{{ÉxÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉºBÉEÉ´ÉÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ cäãlÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2013) £ÉÉÒ näJÉå <http://www.nipponfoundation.or.jp/en/what/projects/leprosy/Leprosy_in_Our_Time 2013.pdf> 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ *

[13] ¶ÉÉÒMÉäBÉEä<Ç ºÉÉBÉEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ].10)

[14] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7) : BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ]. 9) *

[15] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ].9) *

[16] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäMÉ £ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉìvÉiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ, b¤ãªÉÚ.ASÉ.+ÉÉä. (2011-2015), <http://www.searo.who.int/entity/global_leprosy_programme/documents/enhanced_global_strategy_2011_2015_operational_guidelines.pdf>, {É® ={ÉãÉ¤vÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 .

[17] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ].9) *

को स्थायी नुकसान, भौंह की हानि या अवनमित नासिका कारित करता है ।[18] रोग का प्रकटीकरण भौगोलिक रुपभेदों और परपो-ी प्रतिक्रियाओं के अनुसार भिन्न- भिन्न प्रतीत होता है ।[19]

2.1.4 कु-ठ रोग की दो मुख्य किस्में - लेप्रोमैटस और गैर-लेप्रोमैटस हैं ।[20] लैप्रोमैटस किस्म के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की लगभग 15-20% है ।[21] लैप्रोमैटस किस्म ऐसे कु-ठ रोग का उग्र रूप है जो अनुपचारित या अपर्याप्त उपचारित रह जाने पर आसानी से संक्रमण फैलाता है ।[22] कु-ठ रोग के सभी मामलों के 80-85% तक गैर-लैप्रोमैटस या गैर-उग्र किस्म के है जहां संक्रमण दुर्बल होता है और अन्य लोगों को आसानी से नहीं फैलता ।[23] भारत के कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की अधिकांश संख्या गैर-लैप्रोमैटस किस्म की हैं ।[24] कु-ठ रोग प्रभावित भिखारियों की अधिकांश जनसंख्या भी इस प्रवर्ग के भीतर आती है ।[25]

ख. कु-ठ रोग प्रतिवेशी तथ्य और मिथक

2.2.1 कु-ठ रोग प्रतिवेशी ऐसे कई मिथक और भ्रांतियां हैं जिन्हें इस अध्याय में स्प-ट किया जाना ईप्सित है । ऐसे मिथक कु-ठ रोग को आनुवंशिकीय और संक्रमित रोग मानते हैं जो अशुद्ध रक्त और गरीबी के कारण कारित होता है ।[26] कई लोगों का यह भी विश्वास है कि कु-ठ रोग का संक्रमण भोजन और जल से फैलता है और पता लगाना कठिन है ।[27] तथापि, सभी ऐसी धारणाएं साक्ष्य पर आधारित नहीं है अतः, गुणहीन हैं ।[28]

---

[18] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ].9) *

[19] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ].9) *

[20] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ]. 7)

[21] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ]. 7)

[22] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ]. 7)

[23] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ]. 7)

[24] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ]. 7)

[25] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ]. 7)

[26] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ].9) *

[27] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ].9) *

[28] BÉÖE-~ ®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ].9) *

2.2.2 कु-ठ रोग वंशानुगत रोग नहीं है और अशुद्ध रक्त या गरीबी के कारण नहीं बल्कि यथा उपरोक्त वर्णित माइको वैक्टीरियम लेपरे प्रेरणार्थक अभिकर्ता के कारण कारित होता है । इसके अतिरिक्त, यद्यपि कु-ठ रोग चिरकालिक संक्राम्य रोग है, फिर भी, न तो इसका निदान करना कठोर और न ही उपचार करना कठिन है । प्रभावी कु-ठरोग उपचार के लिए मुख्य बात शीघ्र अभिज्ञान और नियमित उपचार है ।

2.2.3 सभी व्यक्तियों को कु-ठरोग की बीमारी का खतरा नहीं है, यद्यपि अस्वास्थ्यकर दशाएं, कुपो-ाण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की कमी से कु-ठ रोग दण्डाणु या अन्य रोगों तथा ऐसी दशाओं के कारण कारित संक्रमणों द्वारा संक्रमित होने का अवसर बढ़ जाता है ।[29] इसके अतिरिक्त, कु-ठरोग घातक रोग नहीं है, फिर भी कलंक और विभेद के कारण यह वि-ाादग्रस्त व्यक्तियों को स्थायी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नुकसान कारित करता है ।[30]

ग. <u>कु-ठरोग की व्यापकता</u>

2.3.1 आजकल, कु-ठरोग सभी रोगों (एड्स के संभाव्य और हाल के अपवाद के साथ) में से सर्वाधिक विकराल बना हुआ है ।[31] 2014 में ही, भारत विश्व के नए कु-ठरोग मामलों का 58% के प्रति उत्तरदायी है और उन देशों की सूची में अग्रणी है जिन्होंने विश्व में कु-ठरोग संक्रमण के अधिक आंकड़ों की सूचना दी है ।[32] डब्ल्यू. एच. वो. के 1985 अभिलेखों के अनुसार, भारत में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित होने वाले अपने 7,30,540 नागरिकों का प्राक्कलन था। तथापि, उसी व-र् एम.डी.टी. की शुरुआत के पश्चात्, सरकार एम.डी.टी. को लागू करने के प्रयोजन के लिए द्वार-द्वार सर्वेक्षण और आरंभ किए गए अन्य उपायों के माध्यम से दिसंबर, 2005 तक प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 नए मामले तक

---

[29] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)
[30] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)
[31] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)
[32] +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ BÉÖE-~ ®ÉäMÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE ºÉÆMÉàÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2012-2013) <http://www.ilep.org.uk/ filleadmin/uploads/Documents/Annual_Reports/annrep13.pdf>, {É® ={ÉãÉ¤vÉ, 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉÄ |ÉÉ{iÉ *

कु-ठरोग के समग्र दर में कमी लाने में सक्षम हुई । समग्र दर में इस कमी ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कु-ठरोग के उन्मूलन को चिह्नित किया ।

2.3.2 तथापि, एकबार सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कु-ठरोग के उन्मूलन की घो-ाणा किए जाने के पश्चात्, कु-ठरोग के उर्ध्वाधर स्वास्थ्य कार्यक्रम को देश के सामान्य स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के साथ विलीन कर दिया गया । यह परिवर्तन इतना निर्विध्न और सुनियोजित रीति से नहीं हुआ जितना होना चाहिए, जिसके कारण कु-ठरोग की पहचान सहित सेवा परिदान में अंतराल हुआ जो अब भी विद्यमान है । इसके अलावा, व-र्ा 2005 से आगे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता कु-ठरोग से एड्स और कैंसर पर केंद्रित होने के कारण भारत में कु-ठरोग की घटना में वृद्धि हो रही है । इस प्रकार, 2005 से 2014 तक, भारत सरकार का रा-ट्रीय कु-ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.) प्रत्येक व-र्ा 1.25 लाख से 1.35 लाख की दर से नए मामलों को अभिलिखित कर रहा है ।[33] अकेले व-र्ा 2013-2014 के दौरान, भारत में कु-ठरोग के 1.27 लाख नए मामलों का पता चला ।[34] भारत में कु-ठरोग के इन नए मामलों का अधिकांश भाग ऐसे बच्चों का है जो छोटी आयु में ही एकांतता और विभेद के भय का सामना करते हैं । भारत में इस समय कु-ठरोग कालोनियों की अनुमानित संख्या 850 है जहां कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति निवास करते हैं जिन्हें अन्यथा आम जनता से अलग किया गया है ।[35]

2.3.3 अतः, 2005 से तीव्र कमी के पश्चात्, कु-ठरोग की पहचान या घटना में काफी सुधार नहीं दिखाई दे रहा है । तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रा-ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 का हाल ही का प्रारूप ‘‘संक्राम्य रोगङ के प्रति समेकित सोच के माध्यम से भारत में कु-ठरोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है । तथापि, यह नए विभेदकारी विधान के निरसन

---

33 AxÉ.AãÉ.<Ç.{ÉÉÒ. ´É-ÉÇ 2013-14 |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, BÉEåpÉÒªÉ BÉÖE-~®ÉäMÉ |É£ÉÉMÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, <http://nlep.Nic.in/pdf/progress%20Report%2013st%20March%202013-14.pdf>, {É® ={ÉãÉ¤vÉ, 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEEÉä |ÉÉ{iÉ *

34 ´ÉcÉÒ -

35 AxÉ.AãÉ.<Ç.{ÉÉÒ. - |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 33)

और नए संरक्षणात्मक विधान को पुरःस्थापित करने तक विस्तारित नहीं है जो इस रिपोर्ट की वि-ाय-वस्तु है ।

घ. निवारक और आरोग्य उपचार

2.4.1 पहले ज्ञात उपचार के पूर्व, कु-ठ रोग के लिए कोई वैज्ञानिकतः स्थापित उपचार नहीं था। उपचार की कमी के कारण, आश्रय और कु-ठरोग कालोनियों स्थलों में रोगी की एकांतता को ही स्वस्थ जनसंख्या में रोग को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय माना जाता था ।[36] बाद में, पूर्व ज्ञात उपचार के रूप में डैपसोन के आरंभ के साथ, कु-ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम ने मामला प्रकटन, बाह्यरोगी निदानालयों में उपचार और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए घर-घर सर्वेक्षणों को मिलाकर सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार (''सेटञ्) रणनीति मोडल रूप में लिया ।[37] तथापि, घरेलू सर्वेक्षणों में लोगों के सहयोग की अनिच्छा और रोग के विरुद्ध व्याप्त समाज-बहि-कार के कारण कु-ठरोग चिकित्सालयों में जाने की उनकी हिचकिचाहट के कारण, आरंभिक व-ाों में डैपसोन से कु-ठरोग प्रभावित व्यक्तियों का उपचार करना कठिन हो गया ।[38] इसके अलावा, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति जिनका डैपसोन से उपचार किया गया, के कुछ ऐसे दृ-टांत सामने आए जिनमें रोग प्रतिरोध शक्ति विकसित हुई, अतः उपचार से कोई फायदा नहीं हुआ ।[39]

2.4.2 यद्यपि कु-ठरोग पिछले तीन दशकों के दौरान कु-ठरोग उपचार के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक में वृद्धि के साथ-साथ अनिवर्त्य निःशक्तता[40] का कारण है, फिर भी अब यह पूर्णतः साध्य रोग है जिसे स्वयं उपचार के आरंभिक प्रक्रम पर असंक्राम्य बनाया जा सकता है । ऐसा उपचार जिसने कु-ठरोग को ठीक करना संभव बनाया । बहु-

---

[36] BÉÖE-~®ÉäMÉ : iÉlªÉ, ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (ÉÊ]. 9)
[37] 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉ £ÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (2011) <http://planningcommission.gov.in/aboutus/committee/wrkgrp12/health/WG_3_1communicable.pdf>, {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
[38] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)
[39] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)
[40] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)

ओ-ाधि रोगोपचार ("एम.डी.टी.ः) की प्रक्रिया है जिसकी डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा पहली सिफारिश 40 व-र्ाों के अनुसंधान और परीक्षण के पश्चात् 1980 के आरंभ में ही की गई थी ।[41] एम.डी.टी. के अधीन, डैपसोन के संयोजन के साथ रीफामिप्सिन, क्लोफाजीमाइन और अन्य जैसी सशक्त ओ-ाधियां कु-ठरोग दण्डाणु से प्रभावी रूप से लड़ने के लिए प्रभावित व्यक्ति को दी जाती है । यह कहा जाता है कि पिछले दो दशकों से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित 15 मिलियन व्यक्तियों से अधिक को एम.डी.टी. के अधीन उपचारित किया गया ।[42]

2.4.3 एम.डी.टी. पथ्यापथ्य प्रभावी होने के लिए नियमितता, पर्यवेक्षण और सातत्यता की अपेक्षा है । पथ्यापथ्य का प्रतिपादन इस आधार पर किया जाता है कि क्या किसी विशि-ट मामले में अल्प वैसीलरी (दण्डाणुओं की बहुत कम संख्या) है जिसे लगभग यह मास के विहित पथ्यापथ्य की अपेक्षा है या बहुवैक्सीलरी (दण्डाणुओं की बहुत अधिक संख्या) जिसे औसतन लगभग एक व-र्ा के विहित पथ्यापथ्य की अपेक्षा है । स्वयं इसकी पहली खुराक के पश्चात्, एम.डी.टी. कु-ठरोग रोगाणु जिससे रोग कारित होता है के 99.9% को मारता है, और तदद्वारा कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को असंसर्गी बनाता है तथा उसके कुटुम्ब के सदस्यों के साथ ऐसे व्यक्तियों को अलग करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ।[43] पिछले दो दशकों से भारत में रोगियों के उपचार के लिए एम.डी.टी. का उपयोग किया जा रहा है, और विशे-ाकर 1985-2005 की अवधि के दौरान, भारतीयों में कु-ठरोग की घटना में सारवान कमी लाने में सहायक रहा है ।[44] रोग के शीघ्र पता लगने के साथ एम.डी.टी. के माध्यम से इसके तत्काल उपचार से अनिवर्त्य विकृतियों से प्रभावित

---

41 ¶ÉÉÒMÉäBÉEä<Ç ºÉÉBÉEÉàÉÉäiÉÉä (ÉÊ]. 10)

42 ÉÊxÉ{{ÉxÉ {ÉÉÉ=xbä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉÉBÉÉÉ´ÉÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ cäãlÉ {ÉÉÉ=xbä¶ÉxÉ BÉÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 21)

43 ¶ÉÉÒMÉäBÉEä<Ç ºÉÉBÉEÉàÉÉäiÉÉä (ÉÊ]. 10) ; BÉÖE-~®ÉäMÉ <http://www.searo.who.int/entity/global_leprosy_programme/publications/8th_expert_comm_2012.pdf> b¤ãªÉÚ.ASÉ.+ÉÉä. ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * <http://www.searo.who.int/entity/global_leprosy_programme/publications/10th_tag_meeting_2009.pdf> 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 {É® ={ÉãÉ¤vÉ *

44 ®ÉäMÉ £ÉÉ® {É® BÉÉÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 37)

व्यक्तियों को बचाया जा सकता है ।[45] एम.डी.टी. के माध्यम से उपचार का पूर्ण अनुक्रम पूरा करने के पश्चात्, पूर्व प्रभावित व्यक्ति में रोग का फिर से होना बहुत बिरल है ।[46]

2.4.4 एम.डी.टी. के अधीन उपचार के अलावा, रोग के कारण प्रभावित हाथ, पैर और आंखों की निःशक्तता के सुधार के लिए कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों पर पुनर्संरचना सर्जरी ("आर.सी.एस.ः) भी की जाती है ।[47] भारत सरकार ने एम.डी.टी. के माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम आरंभ किए हैं और ऐसे व्यक्तियों के आर.सी.एस. के लिए सहायता और प्रतिकर स्कीम भी चलाई है ।[48] इसी बीच, टीकाकरण और रोग निरोधन के माध्यम से कु-ठरोग के उपचार के नए और अधिक प्रभावी तरीकों की खोज जारी है ।

2.4.5 कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों पर किए गए कई सर्वेक्षणों और अध्ययनों के अनुसार, यह पता चला है कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की प्रास्थिति के उन्नयन की मुख्य बाधा कु-ठरोग से जुड़ा सामाजिक कलंक है ।[49] रोग के आरंभिक प्रक्रमों से ग्रस्त व्यक्तियों को समाज बहि-कार और अलगाव के भय के कारण चिकित्सक से सलाह लेने से मना किया जाता है ।[50] कु-ठरोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध कलंक और विभेद का मुख्य कारण कु-ठरोग का असमर्थकारी और विद्रूपकारी प्रकृति रहा है जो शारीरिक सुंदरता की सौन्दर्यपरक धारणा के प्रतिकूल है जैसा समाज में व्याप्त है ।[51]

---

[45] BÉÖE-~®ÉäMÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEEÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® ABÉE ºÉÉè <BÉDiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2008) ("BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) *
[46] BÉÖE-~®ÉäMÉ BÉEä BÉEEÉ®hÉ ®ÉäMÉ £ÉÉ® +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ (ÉÊ]. 16)
[47] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 45)
[48] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 45)
[49] 'BÉÖE-~®ÉäMÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEEÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÉè <BÉDiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEEÉ® uÉ®É BÉEEÉÒ MÉ<Ç BÉEEÉ®Ç´ÉÉ<Ç' {É® ABÉE ºÉÉè +É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2010) *
[50] -´ÉcÉÒ-
[51] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)

कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की विकृतियों को भी पारंपरिकतः घृणा कारित करने वाला माना जाता है ।[52] इसके अतिरिक्त, कई दशकों से कु-ठरोग के कारण और उपचार से संबंधित किसी सक्षम साधन के अभाव में अनेक समाजों में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को दैवीय दंड के रूप में देखा जाता था जहां रोग को पिछले पापों के प्रायश्चित के रूप में माना जाता था जिससे ऐसे व्यक्तियों को बहि-कृत करने की अपेक्षा थी ।[53] भारत समेत संपूर्ण विश्व में जीवन के कई क्षेत्रों में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के बहि-कार की प्रक्रिया जारी रही, यद्यपि ऐसी प्रक्रिया के मानदंड में रोग से संबंधित बढ़ती जागरुकता के आलोक में काफी कमी आई है ।

2.4.6 विशे-ाकर 2005 के पश्चात्, भारत में नए मामलों की भारी संख्या के आलोक में, कु-ठरोग का शीघ्र प्रकटन शारीरिक विद्रूपताओं को प्रदर्शित कर कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को निवारित करना समय की मांग है । इस मुद्दे से निपटने के लिए, भारत में विधि और नीति को कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है और अपनी अवसंरचना से ऐसे उपबंधों को हटाना है जो ऐसे व्यक्तियों के साथ विभेद कारित करते हैं और अलग करते हैं । इस संदर्भ में, कु-ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के कारण को दूर करने हेतु पहले ही कई प्रयास किए गए हैं जिनकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी ।

[52] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)
[53] xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (ÉÊ].7)

अध्याय 3

कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने के लिए अब तक किए गए प्रयास

3.1 संगठित कार्रवाई के माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्रास्थिति को उठाने के लिए अब तक भारत में कई प्रयास किए गए । ऐसा ही एक प्रयास डा. शिवाजी राव पटवर्धन, एक होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा किया गया जिसने व-र्ा 1950 में महारा-ट्र के अमरावती जिले में ''जगदम्बा कु-ठरोग मिशनङ्क या तपोवन की आधारशिला रखी और अपना संपूर्ण जीवन कु-ठरोग के रोगियों के लिए समर्पित किया ।[54] तपोवन को कु-ठरोग के रोगियों के लिए एक सर्वोत्तम और सर्वाधिक व्यापक उपचार और पुनर्वास परिसर के रूप में माना जाता है ।[55] डा. पटवर्धन ने कु-ठरोग से जुड़ी झूठी अफवाह को दूर करने में काफी संघर्-ा किया और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित कई व्यक्तियों की रहन-सहन की दशाओं को सुधारने में सफल रहे ।[56]

3.2 कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के उत्थान के लिए दूसरा उत्कृ-ट प्रयास महारा-ट्र के वरोरा में बाबा आम्टे (मुरलीधर देवी दास आम्टे) द्वारा आरंभ किया गया । बाबा आम्टे ने अपने विवाह के ठीक पश्चात् वरोरा के बाहर कु-ठरोग से ग्रस्त लोगों के लिए कार्य करना आरंभ किया ।[57] उन्होंने 11 साप्ताहिक रोगोपचार केंद्र बरोरा के चारों ओर स्थापित किए और बाद में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए स्व-संपूर्ण आश्रम ''आनन्द वनङ्क का कार्य आरंभ किया ।[58] बाबा आम्टे के आनन्द वन को 1951 में रजिस्ट्रीकृत किया गया और तब से सरकार द्वारा दिए गए

---

[54] {ÉnÂàÉgÉÉÒ bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ®É´É {É]´ÉvÉÇxÉ, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ ÉÊVÉãÉä {É® ÉÊ]{{ÉhÉ, <http://court.mah.nic.in/courtweb/static_pages/courts/amravati.pdf>, 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEEÄä ={ÉãÉ¤vÉ *

[55] -´ÉcÉÒ-

[56] +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ ÉÊVÉãÉä {É® ÉÊ]{{ÉhÉ (ÉÊ]. 54)

[57] àÉcÉ®É-]Å £ÉÚ-ÉhÉ - ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉà]ä, àÉcÉ®É-]Å BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] <http://chanda.nic.in/htmldocs/ anandwan.html> , 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEEÄä ={ÉãÉ¤vÉ *

[58] -´ÉcÉÒ -

अनुदानों और भूमि के आलोक काफी वृद्धि हुई है ।[59] आनन्दवन में इस समय दो अस्पताल, एक विश्वविद्यालय, एक अनाथालय, अंधों के लिए एक स्कूल और तकनीकी विंग है ।[60] यह अब स्वतः पूर्ण इकाई है जहां 5000 से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं ।[61]

3.3 व्यक्तिगत स्तर पर पूर्वोक्त वर्णित प्रयासों के अलावा, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए गए । इस बावत, राज्य सभा की अर्जी समिति द्वारा अपनी एक सौ इकतीसवीं रिपोर्ट में केंद्र और राज्य की सरकारों से कु-ठरोग प्रभावित व्यक्तियों के समेकन और सशक्तीकरण के लिए अपील की गई ।[62] समिति ने अपनी रिपोर्ट में विचारार्थ ग्यारह बिंदुओं का परिशीलन किया जिसमें कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए रा-ट्रीय नीति की विरचना, ऐसे सभी सुसंगत विधानों का संशोधन जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं और नागरिक प्रसुविधाओं और अन्य ऐसे सहायता उपाय जो ऐसे व्यक्तियों के आम फायदे के लिए हैं, सम्मिलित हैं ।[63] रिपोर्ट के माध्यम से समिति ने कई प्रासंगिक सिफारिशें की जिसके द्वारा कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के सीमांतीकरण और कलंकीकरण को दूर करने की ईप्सा की गई थी और जिसमें उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी भारत में विधिक अवसंरचना बनाने पर बल दिया गया था ।[64]

3.4 तत्पश्चात्, इसी समिति की एक सौ अड़तीसवीं रिपोर्ट ने एक सौ इकतीसवीं रिपोर्ट की सिफारिशों/विचारों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों का

---

[59] àÉcÉ®É-]Å £ÉÚ-ÉhÉ-¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉà]ä (ÉÊ]. 57) ; ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉà]ä, +ÉÉxÉxn ´ÉxÉ <http://www.anandwan.ni/about- anandwan/baba-amte.html>, ¤Éä´ÉºÉÉ<] £ÉÉÒ näJÉå, 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEEÄä |ÉÉ{iÉ *

[60] -´ÉcÉÒ -

[61] àÉcÉ®É-]Å £ÉÚ-ÉhÉ-¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉà]ä (ÉÊ]. 57) +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉà]ä (ÉÊ]. 59)

[62] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 45)

[63] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 45)

[64] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 45)

विश्ले-ाण किया ।[65] इस रिपोर्ट में, समिति ने पूर्व में की गई सुसंगत सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों पर ध्यान दिया और उन कार्रवाइयों पर इसके पश्चात् की गई प्रगति का विश्ले-ाण किया ।[66] इस बावत, विधायी संशोधनों की बावत समिति ने सुसंगत मंत्रालयों द्वारा दिए गए स्प-टीकरणों पर ध्यान दिया और जहां आवश्यक था, दृ-टांतों द्वारा अतिरिक्त सिफारिशों की ।[67]

3.5 तथापि, यद्यपि किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित कई व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के जीवन में काफी सुधार हुआ है फिर भी कु-ठरोग से जुड़ा चिरकालिक कलंक और उन्हें लागू प्राचीन विधियां अब भी विद्यमान है। यह सर्वाधिक सुस्प-ट है यदि हम अगले अध्याय में विस्तार से वर्णित घरेलू विधिक ढांचे पर विचार करें ।

[65] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 49)
[66] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 49)
[67] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 49)

अध्याय 4

घरेलू विधिक ढांचा : भारत में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यख विभेद का सुकर बनाया जाना

4.1 कई भारतीय विधियां प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः दोनों दृ-टि से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेदकारी हैं । ऐसे विभेद के परिवर्ती मुद्दों को विचारार्थ व-र्ा 2008 में राज्य सभा की अर्जी समिति द्वारा उठाया गया और उसी समिति द्वारा 2010 की अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एक सौ अड़तीसवीं रिपोर्ट) में भी विचार-विमर्श किया गया ।[68] तथापि, किसी ऐसे विधान जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को लागू होते हैं, को उपांतरित या निरसित करने के लिए केंद्रीय सरकार या कुछ राज्य सरकारों द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई ।

4.2 हिंदू विवाह अधिनियम, 1953, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939, भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, विशे-ा विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू दत्तक और भरण-पो-ाण अधिनियम, 1956 के अधीन कतिपय उपबंध कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्यक्षतः विभेदकारी हैं और कु-ठरोग को रूअसाध्य और वि-ाक्त- रोग मानते हैं । इन विधानों के अधीन, दो व-र्ों से अन्यून तक कु-ठरोग का संक्रमण पति और पत्नी के बीच विवाह-विच्छेद या पृथक्करण के लिए विधिसम्मत आधार की पूर्ति करता है ।

4.3 राज्य भिक्षावृत्तियों के अधीन, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को उसी प्रवर्ग में चिह्नित किया गया है जिसमें पागलपन से ग्रस्त व्यक्तियों को रखा गया है । इसके अतिरिक्त, अविनिर्दि-ट कालावधि के लिए कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा तथा गिरफ्तारी और निरोध का भी उपबंध इन अधिनियमों के अधीन पिछली धारणाओं के अनुरुप किया गया है जिसमें कु-ठरोग को असाध्य माना गया था । ऐसे बच्चे, जो पांच व-र्ा की आयु तक भिक्षा पर पूर्णतः आश्रित है और जिनके माता-पिता

[68] BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 131´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 45) +ÉÉè® BÉÖE-~®ÉäMÉ {É® 138´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 49)

कु-ठरोग से ग्रस्त हैं, भी इन अधिनियमों के अधीन निरुद्ध किए जाने के दायी हैं । जीवन-बीमा निगम अधिनियम, 1956 में एक विभेदकारी उपबंध है जिसमें पिछली धारणाओं की समझ के अनुसार उनके जीवन के उच्चतर जोखिम के कारण कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से उच्चतर प्रीमियम दर प्रभारित किए जाते हैं । कई राज्य नगरपालिक और पंचायती राज अधिनियम, जो अध्याय 7 में सूचीबद्ध है, में भी ऐसे विनिर्दि-ट उपबंध हैं जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति को नागरिक पदों को धारित करने या पर चुनाव लड़ने से वर्जित करते हैं ।

4.4 अप्रत्यक्ष विभेद के संबंध में, रेल अधिनियम, 1989, मोटरयान अधिनियम, 1988, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और बाम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम, 1888 जैसे राज्य अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को कतिपय अधिकारों, विशे-ाधिकारों और रियायतों से इनकार की अनुज्ञा देते हैं जो संक्राम्य या संसर्गी रोग या निर्योग्यता से ग्रस्त हैं । अपने पारंपरिक सोच के आलोक में, कु-ठरोग ऐसे संसर्गी रोगों और निःशक्तताओं की परिधि के भीतर ही सम्मिलित रहा । दूसरी ओर, भारतीय पुनर्वास परि-ाद् अधिनियम, 1992 और निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 ने कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के सभी प्रवर्गों को अपनी परिधि के भीतर सम्मिलित नहीं करता जिसके परिणामस्वरूप कई ऐसे व्यक्तिय विशे-ा विशे-ाधिकार प्राप्त नहीं कर पाते ।

4.5 पूर्वोक्त विधानों के अलावा, **धीरेन्द्र पांडु** बनाम **उड़ीसा राज्य**[69] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय भी अलगाव और विशे-ा उपचार की अपेक्षा करते हुए कु-ठरोग को असाध्य और संक्राम्य रोग की चिरकालिक धारणा को दृढ़ करता है । पूर्वोक्त मामले में, उड़ीसा नगरपालिक अधिनियम, 1950 की धारा 16(1)(त्द्ध) और 17(1)(ख) के अधीन सिविल कार्यालयों में व्यक्तियों के चयन के मापदंड की चर्चा की गई । दो धाराएं कु-ठरोग से प्रभावित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अधीन नगर कार्यालयों में पद ग्रहण करने से निरर्हित करती हैं । उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया

[69] A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 163.

कि यद्यपि वैज्ञानिक विकासों से अब कु-ठरोग का निदान किया जा सकता है फिर भी कुछ अध्ययनों का यह नि-क-र्ा है कि दो व-र्ों के नियमित रोगोपचार के बावजूद लगभग 10% रोगी अब भी रोग के जीवनक्षम दुराग्रह मन में बनाए रखते हैं ।[70] न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि उपलब्ध स्रोतों के आलोक में, यह सुस्प-ट था कि सुसंगत समय पर विभिन्न उपायों के बावजूद कु-ठरोग के पुनःसक्रियकरण से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता और यह बहुल कारकों पर निर्भर था ।[71] अपने नि-क-र्ों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए याची की निरर्हता को कायम रखा कि विधानमंडल ने अपनी प्रज्ञा से कानून में ऐसे उपबंधों को उचित ही प्रतिधारित किया जो नगर कार्यालयों में पद ग्रहण करने से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को वर्णित करते हैं क्योंकि रोग के संसर्गी होने के कारण यह युक्तियुक्त चिंता का वि-ाय है ।[72]

4.6 तथापि, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त मामले की अपनी चर्चा में यह मत व्यक्त किया कि कु-ठरोग के प्रति धारणा बदल रही है क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियुक्त कु-ठरोग उन्मूलन के कार्य समूह की सिफारिश के आलोक में, कई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने प्राचीन कु-ठरोगी अधिनियम, 1898 और समरुप ऐसे राज्य अधिनियमों को निरसित किया जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के अलगाव और चिकित्सा उपचार का उपबंध करते थे ।[73] न्यायालय ने कहा कि वृत्तिक विचारों के साथ-साथ कु-ठरोग पर संचालित अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल संभवतः कानूनों के ऐसे उपबंध, जो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद कारित करते थे, को प्रतिधारित करने की अपनी अवस्थिति पर गंभीरता से पुनर्विचार कर सकेंगे ।[74]

4.7 कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के बेहतर उपचार की आवश्यकता को भी न्यायालयों द्वारा ऐसे दृ-टांतों में मान्यता प्रदान की है जहां कु-ठरोग द्वारा प्रभावित

---

[70] ´ÉcÉÓ {Éè®É 19-21..
[71] -´ÉcÉÒ-
[72] ´ÉcÉÓ {Éè®É 27-29.
[73] ´ÉcÉÓ {Éè®É 30-31.
[74] -´ÉcÉÒ-

व्यक्तियों को अलग किया गया या उनके विरुद्ध विभेद किया गया । उदाहरणार्थ, **पंकज सिन्हा** बनाम **भारत संघ**[75] वाले मामले के हाल ही के आदेश में उच्चतम न्ययालय ने पुनः उल्लेख किया कि यद्यपि आजकल कु-ठरोग साध्य है फिर भी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा दर्शित तदनुभूति की कमी के कारण, यह अब भी समाज में कलंकित रोग बना हुआ है । न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि ऐसा कलंक मानवीय प्रति-ठा और मानवता की मूलभूत अवधारणा को प्रभावित करता है ।[76]

4.8 **महारा-ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम** बनाम **उत्तम शत्रुधन रासेराव**[77] वाले मामले में, परिवादी के नियोजन को पर्यवसित कर दिया गया क्योंकि उसे कार्य के अयोग्य पाया गया । परिवादी कु-ठरोग से ग्रस्त था और स्थापन प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी पद पर कार्य करने की खराब दशा में होना पाया गया । तथापि, बम्बई उच्च न्यायालय ने स्थापन प्राधिकारियों द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि चूंकि कु-ठरोग अब साध्य है इसलिए रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को कार्य से निकालने के बजाए उपचारित करने और पुनवर्सित करने की आवश्यकता है ।[78] न्यायालय ने अंततः स्थापन द्वारा स्प-टीकरणों के आलोक में परिवादी के पक्ष में फायदा मंजूर किया जिसमें ऐसे कर्मचारी अनुपूरक उपदान के हकदार थे जिनकी सेवाओं को उनकी स्थायी निःशक्तता के कारण समाप्त कर दिया गया था ।[79] **धीरेन्द्र पांडु** के मामले में भी न्यायालय ने कु-ठरोग से संबंधित परिवर्तित धारणाओं का संज्ञान लिया और विधानमंडल से यह कहा कि वैज्ञानिक विकास जिसने कु-ठरोग का साध्य पाया, के आलोक में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को लागू विधानों को परिवर्तित करने पर विचार करे ।[80]

4.9 इन विधायी और न्यायिक पैटर्न तथा **धीरेन्द्र पांडु** वाले मामले की टिप्पणी पर विचार करते हुए, भारत में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को लागू विधि अप्रचलित है

---

[75] 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É, àÉxÉÖ{ÉÉjÉ =r®hÉ : AàÉAAxÉªÉÚ/AºÉºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®/51230/2014.

[76] -´ÉcÉÒ-

[77] 2002(4) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 68.

[78] ´ÉcÉÓ {Éè®É 4.

[79] -´ÉcÉÒ-

[80] **vÉÉÒ®äxp {ÉÉÆbÖ** ¤ÉxÉÉàÉ **=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ** (ÉÊ]. 69) {Éè®É 30-31.

क्योंकि यह उपचार और अलगाव के ऐसे विनिर्दि-ट मानकों का पालन करता है जो विशे-ाकर विज्ञान के हाल ही के अकाट्य विकास और एम.डी.टी. की खोज, जो कु-ठरोग के विश्वसनीय और उपयुक्त उपचार के रूप में उभरकर सामने आया है, के आलोक में ऐसे व्यक्तियों को अब लागू नहीं है ।

4.10 इस प्रकार, ऐसे विभिन्न विधान जो कु-ठरोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद करते हैं और आम जनता से उन्हें अलग करने की ईप्सा करते हैं, के अधीन सुसंगत उपबंधों को संशोधित करने, उपांतरित करने और/या निरसित करने में विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए एक ठोस वि-ाय बनाया जा सकता है ।

अध्याय 5

कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए अंतररा-ट्रीय प्रयास

5.1 संयुक्त रा-ट्र महासभा ने एकमत से 21 दिसंबर, 2010 को कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध के विभेद उन्मूलन[81] (कु-ठरोग पर यू.एन. संकल्प) के संकल्प को अंगीकार किया । इस संकल्प को मान्यता प्रदान किया गया और बलपूर्वक रा-ट्रों से 2010 में यू.एन. मानव अधिकार परि-ाद् द्वारा अंगीकृत कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों के विरुद्ध विभेद के उन्मूलन के सिद्धांतों और मार्गदर्शकों ("कु-ठरोग पर सिद्धांत और मार्गदर्शकङ्) का पालन करने का आग्रह किया गया ।[82]

5.2 संकल्प तथा सिद्धांत और मार्गदर्शक कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को लागू विधियों को संशोधित करने और निरसित करने की आवश्यकता को पु-ट करते हैं और सरकारों से ऐसे व्यक्तियों के विभेद को समाप्त करने हेतु उपाय करने की मांग करते हैं ।[83] विशे-ाकर, वे सरकारों से ऐसी विद्यमान विधियों, विनियमों, नीतियों, परम्पराओं और प्रथाओं को उपांतरित करने, निरसित करने या उत्सादित करने की मांग करते हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों के विरुद्ध विभेद करते हैं ।[84] इस सोच को बढ़ावा देने के लिए कि कु-ठरोग अब सहजतः संसर्गी रोग नहीं रह गया है और वस्तुतः एम.डी.टी. के माध्यम से साध्य है ऐसे व्यक्तियों के कुटुम्ब के सदस्यों को कु-ठरोग के संकल्प तथा सिद्धांतों और मार्गदर्शकों की परिधि के भीतर सम्मिलित किया गया है । कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के कुटुम्ब सदस्य कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति के साथ रहने के कारण विभेद और बहि-कार के शिकार

---

81 ªÉÚ.AxÉ.VÉÉÒ.A. ºÉÆBÉEã{É 68/215/{ÉéºÉ~ ºÉjÉ, ªÉÚ.AxÉ. bÉBÉE.A./®äºÉ/65/45 (2010).

82 ªÉÚ.AxÉ.A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ºÉÆBÉEã{É A/ASÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ./15/30 (30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010).

83 -´ÉcÉÒ-

84 -´ÉcÉÒ-

हो जाते हैं ।[85]

5.3 कु-ठरोग के सिद्धांतों और मार्गदर्शकों में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के रहन-सहन की दशाओं को सुधारने के लिए कई उपाय बताए गए हैं । इन उपायों में मानव अधिकार सार्वभौमिक घो-णा (''यू.डी.एच.आर.ङ्क) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अंतरररा-ट्रीय अभिसमय (''आई.सी.ई.एस.सी.आर.ङ्क), सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरररा-ट्रीय अभिसमय (''आई.सी.सी.पी.आर.ङ्क) और निःशक्ततायुक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय सहित अंतरररा-ट्रीय मानव अधिकार लिखतों के अधीन यथा उपबंधित समाज के अन्य सदस्यों के साथ समता आधार पर कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को गरिमा के साथ व्यवहार करना सम्मिलित है । सिद्धांतों और मार्गदर्शकों के अनुसार कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को विवाह के अधिकार, बच्चे रखने के अधिकार और दत्तक ग्रहण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है । कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को (1) नागरिकता और पहचान दस्तावेज ; (2) भर्ती नीति, और (3) किसी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित प्रत्येक के समान वही अधिकार दिए जाने की अपेक्षा है ।

5.4 सिद्धांत और मार्गदर्शक भी राज्यों से ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरुप और प्रति-ोध और विनिर्दि-ट उपायों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के प्रति समानता और गैर-विभेद सुनिश्चित करने हेतु विधानों के निरसन, संशोधन और उपांतरण के माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों की गरिमा कायम रखने की मांग करते हैं । राज्यों से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के फायदे के लिए अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते समय महिलाओं, बच्चों और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित अन्य संवेदनशील समूहों पर विशे-ा ध्यान देने के लिए कहा गया है । स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, जीवन स्तर का संवर्धन, राजनैतिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन

---

[85] BÉEãÉÆBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän BÉEEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ fÉÆSÉÉ, AxÉ.AãÉ.<Ç.{ÉÉÒ. <http://nlep.nic.in/pdf/Stigma. pdf>, {É® ={ÉãÉ¤vÉ, 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014.

क्रियाकलापों में भागीदारी और सामुदायिक लोगों के साथ परिवार का पुनर्मिलन भी कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के फायदे के लिए सिद्धांतों और मार्गदर्शकों के अधीन गारंटीकृत हैं । सिद्धांतों और मार्गदर्शकों के प्रवर्तन के मुख्य उपायों में ऐसे विधायी हस्तक्षेप और जागरूकता निर्माण उपाय सम्मिलित हैं जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने को संवर्धित करते हैं ।

5.5 संयुक्त रा-ट्र निःशक्ततायुक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय, 2007 ("यू.एन.सी.आर.पी.डी.ङ्क) निःशक्ततायुक्त सभी व्यक्तियों द्वारा सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के पूर्ण और समान उपभोग को भी संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करता है ।[86] स्थ्यू.एन.सी.आर.डी.पी.ॅ विनिर्दि-टतः कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों से संबंधित नहीं है किंतु समान अवसर उपायों, जागरुकता कार्यक्रमों और उनकी निःशक्तता के आधार पर अलगाव और विभेद के प्रति प्रति-ोधों के माध्यम से उनकी चिंताओं से निपटने के लिए ढांचे का उपबंध करता है ।[87]

5.6 भारत ने स्थ्यू.एन.सी.आर.डी.पी.ॅ पर हस्ताक्षर और पु-टकृत किए हैं और वह यू.एन. सामान्य सभा जिसने कु-ठरोग के उन्मूलन पर एकमत से संकल्प पारित किया है, का सदस्य भी है ।[88] यू.एन. सामान्य सभा का भाग होते हुए, भारत उस यू.एन. संकल्प के आलोक में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को आधुनिकतम आवश्यकताओं के अधिक अनुरुप बनाने के लिए इसकी विधियों को उपयुक्ततः परिवर्तित करने या निरसित करने के लिए आबद्ध है जो रा-ट्रों से विनिर्दि-टतः यू.एन. मानव अधिकार परि-द् द्वारा अंगीकृत कु-ठरोग के सिद्धांतों और मार्गदर्शकों का पालन की मांग करता है । इस बावत, भारत के संविधान[89] के अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 253 यथावश्यक पूर्वोक्त

---

86 ªÉÚ.AxÉ. bÉBÉE. A/61/611 (2006).

87 -´ÉcÉÒ-

88 BÉÖE-~®ÉäMÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ]Åº] <ÆÉÉÊbªÉÉ (]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.) uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÆBÉE½É * (ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉ<ãÉ {É®)

89 .£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉMÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´É BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 51 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :-

विमर्शित इस परिवर्तन को लागू करने या विभेदकारी विधियों को निरसित करने हेतु अपेक्षित शक्ति भारत के संसद् को सौंपकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । अनुच्छेद 51 अंतरररा-ट्रीय शांति को संवर्धित करने और अपनी अंतरररा-ट्रीय बाध्यताओं और वचनबद्धताओं को कायम रखने का प्रयास करने की भारत की बाध्यता के बारे में है । चूंकि कु-ठरोग का उन्मूलन एक स्प-ट अंतरररा-ट्रीय वचनबद्धता है इसलिए, राज्य इसे पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु सभी उपाय करने के लिए आबद्ध है । इस प्रयास में, उसे अनुच्छेद 253 की सहायता प्राप्त होती है जो इस बात के होते हुए भी कि चाहे प्रश्नगत वि-ाय-वस्तु संविधान की दूसरी अनुसूची की सूची 2 अर्थात् राज्यों की विधायी सक्षमता के भीतर आता है, भारत की अंतरररा-ट्रीय वचनबद्धताओं के अग्रसरण में विधियां बनाने की विधायी सक्षमता संसद् में निहित करता है । इस प्रकार भारत संघ को कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद का उन्मूलन करने के लिए व्यापक विधि अधिनियमित करने की बाध्यता और सक्षमता दोनों है जो देश में रोग से जुड़े कलंक के उन्मूलन के लिए मुख्य कदम है । अब यह अतिआवश्यक आवश्यकता है जब कोई व्यक्ति यह विचार

®ÉVªÉ - (BÉE) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ, (JÉ) ®É-]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ, (MÉ) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ-¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉn® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ, +ÉÉè® (PÉ) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉ, |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ*

ºÉÆÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® +ÉvªÉÉªÉ 11 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 253 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :-
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É ªÉÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, BÉE®É® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *

करता है कि कु-ठरोग के उन्मूलन पर यू.एन. संकल्प को अंगीकार किए हुए पांच व-र्ा बीत चुके हैं और भारत सरकार द्वारा अब तक कोई निश्चित कार्रवाई नहीं की गई है ।

अध्याय 6

कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में अन्य अधिकारिताओं में किए गए व्यवहार

6.1 एक दशक से कुछ पहले तक, संपूर्ण विश्व के कई अधिकारिताओं ने विधान के माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के अनिवार्य अलगाव और एकांतता का अनुमोदन किया । उदाहरणार्थ, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने ऐसे विधानों को कार्यान्वित किया, जो कु-ठ रोगियों के अनिवार्य अलगाव को प्रवृत्त करने के लिए भारत के कु-ठरोगी अधिनियम, 1898 के समरुप थे ।[90] जापान ने सभी कु-ठ रोगियों को अलग करने के लिए कु-ठरोग निवारण विधि, 1907 के अधीन कु-ठालय गठित किया और उन्हें अलग से ऐसे कु-ठालयों में रखा ।[91] फिलीपीन्स ने भी स्वास्थ्य निदेशक पर अनिवार्यतः ऐसे व्यक्तियों को अलग करने हेतु विधिक दायित्व अधिरोपित किया ।[92] मलेशिया, बहामास, कोरिया गणराज्य, मिश्र, सिंगापुर और म्यांमार की विधियों ने भी कुछ समय के लिए ऐसे व्यक्तियों के अलगाव की मंजूरी दी थी ।[93]

6.2 अलग करने की पद्धति के अलावा, सिंगापुर ने अपने रेल अधिनियम, 1906 के अधीन सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिि-ाद्ध किया, जबकि थाईलैंड ने विदेशियों से अपने आवेदन के साथ इस बात को चिकित्सक से प्रमाणित करते हुए कि विदेशी विक्षिप्त मस्ति-क का नहीं है और वह

---

[90] ¶ÉÉÒMÉäBÉEEÉÒ ºÉÉBÉEEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ]. 10).
[91] ¶ÉÉÒMÉäBÉEEÉÒ ºÉÉBÉEEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ]. 10).
[92] ¶ÉÉÒMÉäBÉEEÉÒ ºÉÉBÉEEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ]. 10).
[93] ¶ÉÉÒMÉäBÉEEÉÒ ºÉÉBÉEEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ]. 10).

विदेशी व्यवसाय विधि के अधीन कु-ठरोग से ग्रस्त नहीं है, हाल ही का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की ।[94] कु-ठरोग से प्रभावित व्यक्तियों को आगे अंगोला राज्य में रा-ट्रीय पहचान-पत्र से वंचित किया गया था जबकि ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को कई व-र्षों तक चीन के ग्रामों के सार्वजनिक विद्यालयों में उपस्थित होने से बंचित किया गया ।[95]

6.3 तथापि, 1990 के उत्तरवर्ती समय के पश्चात् कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के कलंकीकरण और बहि-करण में ऐसी विधियों और पद्धतियों के माध्यम से कमी आनी शुरू हुई, जब विश्व समुदाय ने ऐसी विधियों की विभेदकारी भावना पर ध्यान दिया और अपनी-अपनी व्यक्तिगत अधिकारिताओं में उनके क्रियान्वयन में कमी करने का विनिश्चय किया ।[96] इस प्रयोजन के लिए कई देशों ने अपने विधानों और नीतियों को कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों को कानूनी रूप से उन्हें प्रत्याभूत किए जाएं, पुनः प्रारुपित किया । कुछ ऐसे विधान और नीतियों का नीचे उल्लेख किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण हैं ।

(त) अजर्बेजान

6.3.1 अजर्बेजान राज्य रजिस्ट्रीकृत कु-ठरोगियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद के उन्मूलन के लिए राजनैतिक और वित्तीय सहायता देने के लिए बचनबद्ध है ।[97] इस लक्ष्य के लिए, अजर्बेजान सरकार ने (1) कु-ठरोग से जुड़ी

---

[94] ¶ÉÉÒMÉäBÉEÉÒ ºÉÉBÉEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ]. 10).
[95] ¶ÉÉÒMÉäBÉEÉÒ ºÉÉBÉEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ]. 10).
[96] ¶ÉÉÒMÉäBÉEÉÒ ºÉÉBÉEÉàÉÉä]Éä (ÉÊ]. 10).
[97] BÉÖE-~®ÉäMÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£Éän BÉEä =xàÉÚãÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =SSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉcÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÚ.AxÉ. bÉBÉE ºÉÆ. A/ASÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ./10/62 (23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009)<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/G09/115/36/PDF/G0911536.pdf?OpenElements>, ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015.

भ्रामक धारणाओं को दूर करने के लिए मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से सार्वजनिक जागरुकता अभियान आरंभ किया है ; और (2) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के फायदे के लिए रोगी देखभाल संस्थाएं स्थापित की हैं ।[98] हाल ही के व-ाों में, सरकार ने कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के निःशुल्क उपचार, शिक्षा और काम के अवसर की पहुंच सुनिश्चित करने और प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान किया है ।[99] ऐसे प्रभावित व्यक्ति जिनका उपचार हो चुका है और कु-ठरोग को दूर किया जा चुका है, को भी समाज में उन्हें समेकित करने हेतु सहायता करने के लिए स्थानीय कार्यपालिका शक्ति द्वारा नौकरी और प्राइवेट निवास के साथ एक बार वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराया गया है ।[100]

(त्त) कोस्टारिका

6.3.2 व-ा 1974, कोस्टारिका ने कु-ठरोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद से लड़ने के लिए शिक्षा अभियान के साथ कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लिए परिरोध के बिना संचारी उपचार लागू किया ।[101] व-ा 2002 में, महामारी सतर्कता के पुनरुद्धार और स्वास्थ्य वृत्तिकों के लिए क्षमताओं को मजबूत करने जैसे कई प्रोटोकोल और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से कोस्टारिका की सरकार द्वारा 2005 तक रोग को उन्मूलित करने की वचनबद्धता को और मजबूत किया गया ।[102]

(त्त्त) इक्वेडोर

6.3.3 इक्वेडोर के संविधान के अनुच्छेद 32 और 50 के अधीन, ऐसे सभी व्यक्ति जो भयंकर रोगों से ग्रस्त हैं और जिन्हें अधिमानी और विशि-ट उपचार की आवश्यकता है, को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार से गारंटीकृत किया गया

---

98 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (]. 97)
99 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (]. 97)
100 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (]. 97)
101 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (]. 97)
102 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (]. 97)

है ।[103] इस बावत, डब्ल्यू.एच.ओ. और पैन-अमेरिकन स्वास्थ्य संगठन के उदार दान के माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों को एम.डी.टी. के माध्यम से निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है ।[104]

6.3.4 सांख्यिकीय जानकारी और रोग नियंत्रण के आधार पर, इक्वेडोर की सरकार ने (1) अपने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने ; (2) रोग के विरुद्ध विभेद से लड़ने हेतु शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए रा-ट्रीय और अंतरा-ट्रीय सिविल सोसाइटी संगठनों से समन्वय करने ; (3) कु-ठरोग के परिणामस्वरूप निःशक्त व्यक्तियों के प्रति विशे-ा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने ; और (4) ऐसे मुख्य प्रांत जहां कु-ठरोग व्याप्त है, को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित और मानीटर करने के लिए विशि-ट कदम उठाए हैं ।[105]

(त्द्ध) मिश्र

6.3.5 मिश्र में, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति किसी चिकित्सा स्थान में निःशुल्क कु-ठरोग के लिए पूरा चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के हकदार है जब तक ऐसे व्यक्ति उपचारित और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते ।[106] ऐसे मामलों में जहां कु-ठरोग से निःशक्तता पैदा हो जाती है वहां कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए उन्हें और उनके कुटुम्ब सदस्यों को पुनः समेकित करने के लिए चिकित्सा और सामाजिक पुनर्वास से भी गुजरना पड़ सकता है ।[107] 1946 की विधि सं. 131 जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के अलगाव का उपबंध करती है, डब्ल्यू. एच.. ओ. द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एम. डी. टी. के प्रारंभ के पश्चात् 1984 से मिश्र में प्रवृत्त नहीं किया गया है ।[108]

(द्ध) फिनलैण्ड

---

[103] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (]. 97)
[104] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[105] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[106] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[107] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[108] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

6.3.6 फिनलैण्ड के संविधान की धारा 6 के अधीन, गैर-विभेद पर सामान्य मानक यह सुनिश्चित करता है कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्य सहित प्रत्येक व्यक्तियों के साथ विधि के समक्ष एक समान बर्ताव किया जाए ।[109]

इसके अलावा, फिन्निश गैर-विभेद अधिनियम ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार, आजीविका और शिक्षा के सभी पहलुओं पर समान उपचार के सामान्य ढांचे का उपबंध करता है ।[110] उक्त अधिनियम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विभेद दोनों को समायोजित करने का प्रयास करते हुए व्यापक रूप से विभेद को परिभाि-त करता है ।[111] किसी आधार पर सभी व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद को रोकने के उपबंध दंड संहिता, रोजगार संविदा अधिनियम और रोगियों की हैसियत और अधिकारों पर अधिनियम के भीतर भी सम्मिलित किए गए हैं ।[112]

(ध्) ग्रीस

6.3.7 ग्रीक विधि सं. 1137/1981 विनिर्दि-टतः उस हैनसेन रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार और सामाजिक संरक्षण का उपबंध करती है जिसमें कु-ठरोग द्वारा प्रभावित ऐसे व्यक्तियों को, जिनका या तो उपचार चल रहा है या उपचार हो चुका है और रोग से स्वस्थ हो चुके हैं, मासिक आय सहायता का उपबंध सम्मिलित है ।[113] आय सहायता उनके बच्चों सहित कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के कुटुम्ब सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जाती है ।[114] सहायता और उपचार के अलावा, विधि सं. 1137 चिकित्सकों और अस्पताल कर्मचारियों पर गोपनीयता सुनिश्चित करने का आज्ञापक कर्तव्य अधिरोपित करती है ।[115] उक्त विधि के आलोक में ग्रीस के सभी

---

[109] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[110] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[111] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[112] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[113] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[114] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[115] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

लोक दस्तावेजों से ‘‘कु-ठरोगङ्ग या ‘‘कु-ठरोगीङ्ग जैसे पदों का समाप्त कर दिया गया है ।[116]

(ध्त्त्) जापान

6.3.8 मार्च, 2005 में, सत्यापन समिति के सदस्यों ने जापान ला फाउन्डेशन के सहयोग से ‘‘हैनसेन रोग की समस्या से संबंधित सत्यापन समितिङ्ग शी-र्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की ।[117] स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय द्वारा कु-ठरोग से प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित अलगाव नीति के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करने और ऐसे व्यक्तियों के संबंध में सरकारी नीतियों की विरचना पर मार्गदर्शन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी ।[118]

6.3.9 तदनन्तर व-र्ा 2001 में, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जापान में हैनसेन के रोग रूग्णालय के निवासियों को प्रतिकर के संदाय पर अधिनियम पारित किया गया ।[119] ऐसे व्यक्तियों को समाज कल्याण सेवाएं बढ़ाने के उद्देश्य से एक अन्य विधि व-र्ा 2008 में अधिनियमित की गई ।[120] इसी व-र्ा, न्याय मंत्रालय ने उस व-र्ा अपने मानव अधिकार सप्ताह के लिए पूर्विकता के रूप में एच.आई.वी. और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध पक्षपात को दूर करने का कार्यक्रम भी किया ।[121]

(ध्त्त्) कोरिया

6.3.10 कोरिया गणराज्य की रा-ट्रीय विधानसभा ने 20 सितंबर, 2007 को

---

116 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

117 cèxÉºÉäxÉ ®ÉäMÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ, 2005) <http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health/01/pdf/01.pdf>, {É® ={ÉãÉ¤vÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 : +ÉÉä. ASÉ. ºÉÉÒ. ASÉ. +ÉÉ®. +ÉÉè® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ näJÉå (ÉÊ]. 97)

118 -´ÉcÉÒ-

119 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

120 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

121 +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

कु-ठरोग द्वारा प्रभावित लोगों के लिए एक विधायी विधेयक पारित किया ।[122] सरकार ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध व्यवस्थित गलत कार्य जो कई दशकों से जारी था, के कारण कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रतिकर का प्रस्ताव किया ।[123]

(त्न) ओमान

6.3.11 ओमान में रायल डिक्री सं. 101/96 बीमारी, असमर्थता या बुढ़ापे की दशा में ओमानी नागरिकों और उनके कुटुम्बों को भौतिक और चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करता है ।[124] इस्लामिक शरिया विधि के अधीन, सामाजिक हैसियत, स्वास्थ्य और किसी अन्य बात के होते हुए भी सहयोग, प्रति-ठा और समता के मूल्य अभिभावी होते हैं ।[125] ओमानी समाज विकास मंत्रालय में कु-ठरोग के परिवर्ती मुद्दों से निपटने का दायित्व निहित हैं ।[126] कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थापित एक सरकारी आवास में एक समय पर दस कु-ठरोग रोगी निवास कर सकते हैं, जो तब सर्वोत्तम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपभोग करते हैं ।[127] ऐसे व्यक्तियों के परिवार भी ऐसे व्यक्तियों के उपचार के दौरान और उपचार पूरा होने के पश्चात् आवासीय सहायता और मासवार सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्राप्त करते हैं ।[128] उपचार पूरा होने के पश्चात्, ओमानी मंत्रालय उन्मोचित व्यक्तियों को समाज में पुनःसमेकन की सहायता हेतु भी प्रयास करता है ।[129]

(न्) यूक्रेन

---

[122] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[123] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[124] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[125] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[126] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[127] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[128] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[129] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÉÒ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

6.3.12 यूक्रेनिक विधि सं. 1645-ख्रख्रख्र तारीख 6 अप्रैल, 2000 के अनुच्छेद 27 के अधीन, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्ति चिकित्सीय सहायता और उपचार प्राप्त करते हैं ।[130] इसके अलावा, विधि सं. 1645-ख्रख्रख्र कु-ठरोगियों के लिए विशि-ट चिकित्सीय सुविधाएं स्थापित करने का भी उपबंध करती है ।[131] इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए, कु-ठरोगी संरचण की स्वतंत्रता, नियमित संसूचना और मत देने के अधिकार का उपभोग करते हैं ।[132] कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को कृ-िक कार्य के लिए भूमि भी दिए गए हैं और स्थानीय राज्य संगठनों और नगरपालिकाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाना भी अनुज्ञात किया गया है ।[133]

6.3.13 पूर्वोक्त विधान और नीतियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सकारात्मक कार्रवाई और गैर-विभेदकारी नीतियों के माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद को समाप्त करने के लिए अंतरर-ट्रीय समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं । विधि आयोग ने अन्य अधिकारिताओं की इन विधियों और नीतियों पर ध्यान दिया है और इस रिपोर्ट से उपाबद्ध अपने प्रस्तावित विधेयक में इन विधियों और नीतियों के कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है ।

[130] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[131] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[132] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)
[133] +ÉÉä.A.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEEÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]. 97)

अध्याय 7

सिफारिशें

क. विधियों का निरसन या संशोधन

7.1 इस अध्याय में, विधि आयोग ऐसे विनिर्दि-ट उपबंधों की परीक्षा करता है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद कारित करते हैं, अतः, कु-ठरोग के उपचार में वर्तमान विकास के परिप्रेक्ष्य में उनके लागू होने को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए तत्काल निरसन, संशोधन या उपांतरण की अपेक्षा है ।

(त) स्वीय विधियां

7.2 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(त्द्ध), मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2(ध्त), संशोधित भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(1)(त्द्ध), विशे-ा विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27(छ) और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणपो-ाण अधिनियम, 1956 की धारा 18(2)(ग) के अधीन, कु-ठरोग प्रभावित पति/पत्नी विवाह विच्छेद, विवाह के रद्दकरण या भरण-पो-ाण के अधिहरण के बिना पृथक्करण का आधार गठित करता है । सुसंगत विधानों के अधीन इन उपबंधों के आमेलन का एक मुख्य उद्देश्य अप्रभावित पति/पत्नी को कु-ठरोग (मानो यह संक्राम्य रोग है) के संक्रमण के फैलने से बचाना रहा है । तथापि, जैसाकि ऊपर इस रिपोर्ट में उल्लिखित है, कु-ठरोग अब असाध्य रोग नहीं रहा है और एम.डी.टी. द्वारा उपचारित किया जा सकता है जो अपनी पहली खुराक में ही कु-ठरोग के 99.9% दण्डाणु को मारता है और संक्रमण को असंचारी और अवि-ाक्त बनाता है । इसके कारण, विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि कु-ठरोग प्रभावित पति/पत्नी का संक्रमण स्वयंमेव विवाह-विच्छेद, विवाह रद्दकरण या पृथक्करण का आधार गठित करने वाला नहीं होना चाहिए । इन उपबंधों के निरसन की आवश्यकता की मान्यता राज्य सभा अर्जी समिति द्वारा एक सौ इकतीसवीं रिपोर्ट और एक सौ अड़तीसवीं रिपोर्ट में प्रदान की गई है ।

(त्त) भिक्षावृत्ति विधि - आंध्र प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1977, बम्बई

भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959, गुजरात भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 और कई अन्य समतुल्य विधान

7.3 सभी राज्य स्तरीय भिक्षावृत्ति निवारण विधियों के अधीन, कु-ठरोगी पद का प्रयोग कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को निर्दि-ट करने के लिए किया गया है । ये विधियां ऐसे भिखारियों और उनके आश्रितों, जो कु-ठरोग से ग्रस्त हैं, को अनिश्चित काल तक कु-ठरोग आश्रय स्थलों में परिरुद्ध करने या रोकने की भी अनुज्ञा देती हैं । ऐसे निरोध और परिरोध का प्रयोजन ऐसी धारणा से संबद्ध है कि कु-ठरोग एक असाध्य और संसर्गी रोग हैं । तथापि, इस रिपोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, यह धारणा गलत है क्योंकि कु-ठरोग अब एम.डी.टी. द्वारा साध्य है । अतः, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को रोग के अनेक संक्रमण के कारण ही अनिश्चित काल तक कु-ठरोग आश्रयस्थलों में निरुद्ध या परिरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, कु-ठरोगी पद का प्रयोग अपमानजनक है और रोग से जुड़े कलंक का परिचायक है । अतः, विधि आयोग सिफारिश करता है कि रोग से जुड़े कलंक के स्थायीकरण को कम करने के लिए कानूनी पुस्तक और सभी सरकारी अभिलेखों से ऐसे पद को हटाया जाना चाहिए । राज्य भिक्षावृत्ति निवारण विधियों के अधीन कु-ठरोगी पद को हटाने की आवश्यकता को मान्यता राज्य सभा अर्जी समिति द्वारा अपने एक सौ इकतीसवीं रिपोर्ट और अपनी एक सौ अड़तीसवीं रिपोर्ट में प्रदान की गई है ।

(त्त) व्यक्ति निःशक्तता अधिनियम, 1995 और निःशक्ततायुक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2014

7.4 व्यक्ति निःशक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 2(झ)(त्त) के अधीन निःशक्तता से अन्य बातों के साथ-साथ कु-ठरोग उपचारित व्यक्ति अभिप्रेत हैं । कु-ठरोग उपचारित पद को अधिनियम की धारा 2(ण) और निःशक्ततायुक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2014 की धारा 9 के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को अभिप्रेत करते हुए परिभाि-त किया गया है जो कु-ठरोग से उपचारित हो गया है किंतु (त) हांथों और पैरों में संवेदना की कमी और किसी प्रकट विद्रूपता से हीन आंख और पुतलियों में आंशिकघात ; (त्त) प्रकट विद्रूपता और

आंशिक घात ; किंतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता जो उन्हें सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप में लगे रहने के योग्य बनाती है ; (त्त्त) अति शारीरिक विद्रूपता और अग्रवर्ती आयु जो उन्हें किसी सलाभ आजीविका करने से निवारित करती है, से ग्रस्त है । अधिनियम की धारा 2(न) के अधीन, निःशक्ततायुक्त व्यक्ति ऐसे व्यि-टि हैं जो चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता के 40% से अन्यून तक ग्रस्त हैं । भारतीय पुनर्वास परि-ाद् अधिनियम, 1992 की धारा 2(1)(ग) निःशक्तता की अपने सभी उप-प्रवर्गों के साथ उसी परिभा-ाा का प्रयोग करती है जो निःशक्ततायुक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(झ) के अधीन वर्णित है । टी. एल. एम.टी. आई. के अनुसार, कु-ठरोग उपचारित पद कु-ठरोग द्वारा प्रभावित ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करने वाला प्रतीत नहीं होता जो असंसूचित है या उपचार चल रहा है और फिर भी अनुसूची में वर्णित सभी या किन्हीं तीन शर्तों को प्रदर्शित करता है । अतः, इस पद को ऐसी व्यापक व्याप्ति विहित करते हुए संशोधित किया जाए जो ऐसे व्यक्तियों की अधिकांश संख्या को समाहित करता हो जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित असंसूचित व्यक्ति या उपचार चल रहे कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति जैसे कु-ठरोग द्वारा प्रभावित हैं ।

7.5 इसके अतिरिक्त, टी.एल.एम.टी.आई. ने ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जो यह उपदर्शित करते हैं कि व्यक्ति निःशक्तता अधिनियम के अधीन 40% और अधिक निःशक्तता मानदंड केवल श्रेणी-ख्र निःशक्तता के कु-ठरोग से उपचारित व्यक्तियों को समाहित करने में असफल रहता है क्योंकि संगणना प्रक्रिया के अनुसार, संवेदना की हानि केवल 6.9% निःशक्तता गठित करता है । इन मताभिव्यक्तियों के कारण, विधि आयोग सिफारिश करता है कि कु-ठरोग उपचारित पद को कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के सभी प्रवर्गों को सम्मिलित करने के लिए हटाने या व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है ।

(त्द्ध) राज्य नगरपालिक और पंचायती राज्य अधिनियम - उड़ीसा नगरपालिक अधिनियम, 1950, आंध्र प्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1965, उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964, आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पंचायती

राज अधिनिय, 1993, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, राजस्थान नगरपालिक अधिनियम, 1956 और कई अन्य समतुल्य विधान

7.6 उपरोक्त सूचीबद्ध विभिन्न राज्य नगरपालिक और पंचायती राज विधानों में पात्रता के उपबंध यह उल्लेख करते हैं कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति कु-ठरोग के उनके संक्रमण के आधार पर सिविल पद धारित करने से निरर्हित होने के दायी हैं । **धीरेन्द्र पांडु** वाले मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा इन उपबंधों की विधिमान्यता को कायम रखा गया । तथापि, इस निर्णय के पश्चात्, भारत समेत कई रा-ट्रों ने कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध व्याप्त विभेद पर ध्यान दिया और यू. एन. कु-ठरोग उन्मूलन संकल्प के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद और अलगाव को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की । संकल्प द्वारा अंगीकृत कु-ठरोग के सिद्धांतों और मार्गदर्शकों के सिद्धांत 5 के अधीन, भारत सहित सभी राज्यों के लिए कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों को निर्वाचन में खड़े होने और अन्य लोगों की तरह समान आधार पर सरकार के सभी या किसी स्तर पर पद धारण करने का अधिकार उपलब्ध कराने का कर्तव्य सौंपा गया । इस सिद्धांत के आलोक में, विधि आयोग का यह मत है कि सिविल पदों पर खड़े होने के लिए कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की पात्रता के निर्बंधनों को दूर करने का ठोस आधार है ।

ख. सकारात्मक कार्रवाई की मांग

7.7 उपरोक्त यथा विमर्शित विनिर्दि-ट उपबंधों के उपांतरण और निरसन के अलावा, विधि आयोग ऐसे विधान के अधिनियमिति की भी सिफारिश करता है जो सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के सामाजिक आमेलन को संवर्धित करता हो । पूर्व यथाविमर्शित कु-ठरोग के उन्मूलन पर यू.एन.सी.आर.पी.डी. और यू.एन. संकल्प को कायम रखने की भारत की वचनबद्धता भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन ऐसे विधान के अधिनियमिति का अपेक्षित आधार उपलब्ध कराती है ।

7.8 इस बावत, भारतीय संविधान (संघ सूची) की अनुसूची 7 की सूची 1 की प्रविि-टि 14 के साथ पठित अनुच्छेद 253 के अधीन सर्वोपरि खंड भारत की संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, करार या अभिसमय या किसी अंतरररा-ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय पर किए गए किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की अपेक्षित शक्ति उपलब्ध कराता है । अनुच्छेद 253 के अधीन शक्ति का प्रयोग विभिन्न ऐसी संधियों और करारों को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है जिसमें यू.ए.सी.आर.पी.डी., गैट 1994 पर यूरुगुवे राउन्ड फाइनल अधिनियम का हस्ताक्षर और 1972 में स्टाकहोम में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त रा-ट्र सम्मेलन में लिए गए विनिश्चय सम्मिलित हैं ।

7.9 कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई के संवर्धन हेतु सुसंगत विधान को ऐसे व्यक्तियों की समकालीन आवश्यकताओं पर ध्यान देने और उनके समग्र विकास और समाज में आमेलन के संवर्धन के लिए उनकी भलाई के सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है ।

7.10 ऐसे विधान के संदर्भ में अपेक्षित ध्यान दिए जाने वाले मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(त) विभेद के विरुद्ध उपाय

7.10.1 इस रिपोर्ट के विभिन्न दृ-टांतों में यह उल्लेख किया गया है कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के साथ उनके कुटुम्ब के सदस्यों के प्रति राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक प्रत्येक संस्थाओं में विभेद किया जाता है ।[134] कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब सदस्य दोनों के विरुद्ध ऐसा विभेद भाग लेने से हतोत्साहित करने, प्रवेश न करने देने से लेकर अलग रखने तक भिन्न-भिन्न रहता है ।[135] कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के ऐसे बच्चे जो रोग से

[134]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).
[135]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).

संक्रमित नहीं है के साथ भी समाज द्वारा इसी रीति से व्यवहार किया जाता है ।[136]

7.19.2 विधि आयोग सिफारिश करता है कि विभेद के इन मुद्दों से निपटने के लिए, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों पर प्रस्तावित विधान को (क) सभी संस्थाओं में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद को प्रतिनिद्ध करना चाहिए ; (ख) ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में आमेलन के लिए सकारात्मक उपाय लागू करने चाहिए ; (ग) ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, पर्याप्त आवास, शिक्षा, रोजगार और अन्य ऐसी आधारभूत सुविधाओं के अधिकार की गारंटी प्रदान करनी चाहिए ।

(त्त) भूमि अधिकार

7.10.3 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों को समाज की मुख्य धारा से हटाकर अस्पताल के समीप झुग्गी झोपड़ियों में स्थानांतरित करने की चिरस्थायी पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता है । इन झुग्गी, झोपड़ियों को कु-ठरोग कालोनियों के रूप में जाना जाता है और प्रायः शहर की सीमा से बाहर स्थापित किया जाता है । यह पद्धति अलगाव को पुनः प्रवृत्त करता है और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों को संपत्ति अर्जित करने या कब्जा रखने से वंचित करता है । ऐसी कालोनियां वन और रेल भूमि सहित सरकारी भूमि पर स्थापित की गई हैं या प्राइवेट व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा ऐसी कालोनियां स्थापित करने के लिए दी गई प्राइवेट भूमि पर स्थापित की गई हैं ।[137]

7.10.4 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, भारत में इस समय लगभग 850 कालोनियां हैं ।[138] यह भी अनुमान लगाया गया है कि पिछले 14 व-र्गों से कोई नई

136]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).
137]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).
138]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).

कु-ठरोग कालोनी नहीं बनी है, यद्यपि रोग पता चले लोगों को विद्यमान कालोनियों में भेजा जाता रहा है ।[139] इसके अतिरिक्त, ऐसे लोग जो व-र्षों तक एक साथ कालोनियों में रह रहे हैं, बच्चों सहित अपने कुटुम्ब के साथ वहीं रहना चाहते हैं। तथापि, इन कालोनियों में उनके लगातार निवास के बावजूद, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित कई व्यक्ति और उनके कुटुम्ब सदस्यों के पास अब भी कोई भूमि अधिकार नहीं है और हमेशा बेदखली के भय में रह रहे हैं ।[140] भूमि पर स्वामित्व और हक की कमी कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को कालोनी का विकास करने से हतोत्साहित करता है ।

7.10.5 विधि आयोग सिफारिश करता है कि भूमि अधिकारों के इन मुद्दों से निपटने के लिए, प्रस्तावित विधान को (क) कु-ठरोग कालोनियों की संपत्ति के हक और स्वामित्व को वैध करने के उपाय करना चाहिए ; और (ख) यदि भूमि अधिकार नहीं दिया जा सकता है, तो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों की सहमति से अनुकल्पी समझौता विकल्प का पता लगाना चाहिए ।

(त्त्त) रोजगार का अधिकार

7.10.6 कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों की आर्थिक सशक्तता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसकी राज्य द्वारा सक्रिय सहायता और समर्थन प्रदान की जानी चाहिए । तथापि, कई नियोक्ता कु-ठरोग का पता चल गए व्यक्तियों के रोजगार को समाप्त करने के लिए विद्यमान रोजगार विधानों का दुरुपयोग करते हैं ।[141]

7.10.7 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ण)(णण)(ग) इस बावत सुसंगत है क्योंकि यह उल्लेख करती है कि सतत् खराब स्वास्थ्य होने के आधार पर किसी कर्मचारी या कर्मकार की सेवा का पर्यवसान छंटनी गठित नहीं

---

[139]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).
[140]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).
[141]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).

करती है । यह धारा इस प्रकार कु-ठरोग को पर्यवसान के आधार के रूप में उल्लेख नहीं करती किंतु अप्रत्यक्षतः स्थिति से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण प्रभावित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्य को रोजगार से पर्यवसित करने का अवलंब लिया जा सकता है ।

7.10.8 विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि रोजगार के इन मुद्दों से निपटने के लिए, प्रस्तावित विधान को ऐसे उपायों को शामिल करना चाहिए जो एकमात्र रोग के संक्रमण और इससे जुड़े कलंक के आधार पर कु-ठरोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार के पर्यवसान का प्रति-ोध करते हों । सरकार कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए संस्थाओं में कोटा या आनुकल्पिक रोजगार अवसरों का उपबंध करने पर भी विचार कर सकती है जहां ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय रूप से निराश्रित होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वे नियोजित होने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं ।

(त्ध) शैक्षणिक और प्रशिक्षण अवसर

7.10.9 कुछ दृ-टांतों में, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को कु-ठरोग के कारण शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित किया जाता है । इस इनकार के कारण, ऐसे व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्य रोजगार के अवसर की प्राप्ति हेतु अपेक्षित वृत्तिक प्रशिक्षण या शैक्षणिक अर्हताएं अभिप्राप्त नहीं कर पाते । कुछ मामलों में, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के कुटुम्ब के सदस्य विद्यालय, महाविद्यालय या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अपनी पहचान या पते के बारे में कूटरचना करते हैं या झूठ बोलते हैं ।[142]

7.10.10 विधि आयोग सिफारिश करता है कि इन मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तावित विधान को विद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के फायदों के लिए प्रवेश

[142]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).

सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए ।

(ध) भा-ा का समुचित प्रयोग

7.10.11 भा-ा विद्यमान कलंक को जारी रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है । इसको ध्यान में रखते हुए, ''कु-ठरोगीङ्ग पद और ऐसे समतुल्य पदों के प्रयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के संदर्भ में नकारात्मक धारणा पैदा करता है । पद कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के प्रयासों में भी बाधा पहुंचाता है और मानव के रूप में गरिमा की उनकी भावना को प्रभावित करता है ।

7.10.12 विधि आयोग सिफारिश करता है कि भा-ा के इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रस्तावित विधान को सभी सरकारी और प्राइवेट दस्तावेजों में रा-ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय भा-ाओं में ''कु-ठरोगीङ्ग पद और अन्य ऐसे समतुल्य पदों को सुसंगत रा-ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय भा-ा में ''कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तिङ्ग या समतुल्य पद को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ।

(ध्) संचलन की स्वतंत्रता का अधिकार

7.10.13 कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को अन्य लोगों की तरह उसी स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है । रेल अधिनियम, 1989 की धारा 56 और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 8(4) का अवलंब यथा लागू रेल में यात्रा करने के अधिकार या यान चलाने की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के अधिकार से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से वंचित करने हेतु लिया जाता है । विधि आयोग सिफारिश करता है कि संचलन के इस मुद्दे से निपटने के लिए, प्रस्तावित विधान में ऐसे उपायों का उपबंध करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता हो कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के अधिकार और उनके उपचार और स्थिति के

आलोक में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के अधिकार की गारंटी दी जाए । विधान में रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने हेतु कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के साथ गैर-विभेद को भी सुनिश्चित किया जाए ।

(ध्त्त्) उपचार के दौरान रियायतें

7.10.14 भारत के 850 कु-ठरोग कालोनियों में रह रहे कु-ठरोग द्वारा प्रभावित अधिकांश व्यक्तियों के लिए गरीबी और बड़े शहरों से दूरी एक सजीव वास्तविकता है । ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, आजीविका विकल्प और स्वास्थ्य देखभाल फायदों की पहुंच के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है ।[143] कु-ठरोग द्वारा प्रभावित कई व्यक्ति अपने दैनिक संचरण के लिए स्थानीय सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेते हैं यद्यपि यथा पूर्व उल्लिखित, सार्वजनिक परिवहन की पहुंच ऐसे व्यक्तियों के लिए काफी कम हो जाती है ।[144] ऐसे परिदृश्य में, यात्रा, निवास और दवा के लिए धनीय सहायता यथापेक्षित आवश्यकतानुसार सतत् उपचार में लगे ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने हेतु काफी लंबी अवधि तक की जाए । इस बावत, उदाहरणार्थ, महारा-ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, कु-ठरोग के उपचारित व्यक्तियों को अपनी बसों में यात्रा के लिए 75% रियायत उपलब्ध करा रहा है ।

7.10.15 इस अग्रता का अनुसरण करते हुए, विधि आयोग सिफारिश करता है कि प्रस्तावित विधान में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित ऐसे व्यक्तियों, जिनका उपचार चल रहा है, को उपचार (यदि अपेक्षित हो) के दौरान उनकी यात्रा, आवास और उनकी दवाओं के लिए सुसंगत रियायत और धनीय फायदे का उपबंध किया जाए।

(ध्त्त्त्) सामाजिक जागरुकता

7.10.16 कु-ठरोग के उपचार और संचरण से संबंधित जानकारी पैदा करना

---

[143]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).
[144]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).

प्रमुख मार्ग है जिसके माध्यम से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद और कलंक को व्यवस्थित रूप से रोका जा सकता है । रोग के बारे में जागरूकता की घोर कमी कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के अलगाव का कारण बनता है । इसके अतिरिक्त, रोग की साध्यता और उपचार से संबंधित जागरुकता की कमी के कारण, कई व्यक्ति, जुड़े कलंक के कारण चिकित्सीय सहायता लेने से बचते रहते हैं ।[145]

7.10.17 विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि इन मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तावित विधान को विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट स्थापनों में अभियान और कार्यक्रमों के माध्यम से रोग, इसके उपचार और इसकी सहायता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए उपाय सुझाने चाहिए ।

(त्न) कल्याण उपाय

7.10.18 जैसाकि रिपोर्ट के विभिन्न भागों में उल्लिखित किया गया है, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्य कई वित्तीय और सामाजिक अवरोधों के अधीन जीते हैं जो कुछ दृ-टांतों में, उनके लिए उपचार जारी रखने और समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना असंभव बनाता है । तथापि, अनेक कल्याण उपायों के क्रियान्वयन के माध्यम से इन मुद्दों से निपटा जा सकता है । ऐसे कल्याण उपायों में बेरोजगार फायदा, पितृत्व इजाजत, स्वास्थ्य बीमा या कु-ठरोग के कारण अन्य ऐसी सामाजिक बीमा या अन्यथा के उपबंध सम्मिलित हैं । कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को वित्तीय सहायता, जब ऐसे व्यक्तियों का उपचार चल रहा है या उपचार पूरा हो चुका है, उनकी वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए काफी समय तक जारी रहेगी । इसके अलावा, कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के समग्र विकास के लिए उपचार के दौरान सलाह देने से संबंधित अनुपूरक उपाय, सामुदायिक भागीदारी और ऐसे अन्य पहल भी प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य कर

[145]]ÉÒ.AãÉ.AàÉ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½É (ÉÊ]. 88).

सकते हैं ।

7.10.19 विधि आयोग सिफारिश करता है कि ऐसे कल्याण उपायों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित विधान को कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के वित्तीय और सामाजिक उन्नति के लिए पर्याप्त वातावरण बनाने हेतु ऐसे उपाय नि-पादित करने के लिए सार्वजनिक और प्राइवेट स्थापनों को विनिर्दि-ट कर्तव्य अधिरोपित करना चाहिए । इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य आयोगों का गठन सम्मिलित है कि ऐसे उपायों को कड़ाई से प्रवृत्त किया जाए और प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्थापन गैर-प्रवर्तन की दशा में जवाबदेह हों ।

ग. संक्षिप्तांश

7.11 इस रिपोर्ट के पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों के आलोक में, 20वां विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि -

(त) निम्नलिखित विधियों और उपबंधों को निरसित किया जाए :

कु-ठरोगी अधिनियम, 1898 पूर्णतः ;

विशे-ा विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 की उपधारा (छ) ; मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 की उपधारा (त्द्ध) ; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (1) का खंड (त्द्ध) ; भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 की उपधारा (1) का खंड (त्द्ध) ; हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (2) का खंड (ग) ।

(त्त) निम्नलिखित विधियों को उपांतरित या संशोधित किया जाए :

विधिक सेवा अधिनियम, 1987

धारा 12 के उपखंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया

जाएगा, अर्थात् :

(घघ) ऐसा व्यक्ति जो कु-ठरोग से ग्रस्त है या पहले ग्रस्त रहा है या उपचारित हो चुका है ; या

मोटर यान अधिनियम, 1988

अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपधारा (4) के प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"परंतु यह और कि अनुज्ञप्तिकर्ता प्राधिकारी कु-ठरोग द्वारा प्रभावित ऐसे व्यक्ति को सीखने की अनुज्ञप्ति जारी करने से इनकार नहीं करेगा जिसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वह या तो कु-ठरोग द्वारा उपचारित हो चुका है या बहु-ओ-धि रोगोपचार के अधीन पहली खुराक दी जा चुकी है और कु-ठरोग का लगातार उपचार किया जा रहा है ।ङ

(त्त्त) निम्नलिखित क्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने वाले उपबंध लागू किए जाएं :

स्वास्थ्य

संपत्ति का स्वामित्व

समाज कल्याण

शिक्षा

रोजगार

जागरूकता और प्रशिक्षण

नीतियों की विरचना में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की भागीदारी पब्लिक और प्राइवेट स्थापनों की बावत अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करने और इस अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए यथा लागू केंद्रीय या राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए, कु-ठरोग पर केंद्रीय और राज्य आयोग का

गठन ।

7.12 यद्यपि उपरोक्त प्रत्येक विधि में संशोधन किए जा सकते हैं, फिर भी आयोग यह सिफारिश करता है कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के अधिकारों के सभी पहलुओं के संबंध में एकल कानून होना चाहिए । यह सामंजस्य सुनिश्चित करेगा और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा झेले जा रहे विभेद से निपटने के लिए भारत सरकार के संकल्प का ठोस संकेत भेजेगा ।

7.13 इस कानून का शी-र्क ''कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद का उन्मूलन विधेयक, 2015ङ्क होना चाहिए । अकेले इस विधि में विनिर्दि-ट कानूनों के व्यापक निरसन/उपांतरण के अलावा, गैर-विभेद और विधि के समक्ष समान संरक्षण के सिद्धांत अंतर्वि-ट होगा । इन सिद्धांतों में यह विनिर्दि-ट होगा कि (1) कोई व्यक्ति, पब्लिक या प्राइवेट स्थापन कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध कु-ठरोग के उनके क-ट या उनकी निःशक्तता, शारीरिक लक्षण या कु-ठरोग से किसी प्रकार से उनके जुड़े होने के किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा ; और (2) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्य समान आधार पर भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं सहित सभी मानव अधिकारों की मान्यता, उपभोग और प्रयोग के हकदार होंगे । इसके अतिरिक्त, विधि में उपरोक्त सूचीबद्ध विभेदकारी उपबंधों की सकारात्मक कार्रवाई और निरसन और संशोधन से संबंधित समर्थकारी उपबंध भी होंगे ।

7.14 भारत सरकार के विचारार्थ उपाबंध में एक आदर्श विधेयक उपबंधित किया गया है । भारत के विधि आयोग का यह विश्वास है कि यह तथ्य कि भारत विश्व में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की अधिकांश संख्या का केंद्र है, घोर लज्जा का वि-ाय है । इसके अतिरिक्त, स्प-ट वैज्ञानिक साक्ष्य और अग्रगामी सामाजिक प्रयासों के बावजूद, कु-ठरोग से जुड़ा कलंक अब भी अक्षुण्ण रहा है । प्रस्तावित विधेयक ऐसे व्यक्तियों द्वारा झेले जा रहे सामाजिक विभेद को उन्मूलित करने का महत्वपूर्ण कदम है जो समाज में उनके एकीकरण का आवश्यक प्रारंभ है । ऐसा मानव समाज जो सभी, विशे-ाकर अपने

गरीबतम, के लिए मानव अधिकारों में विश्वास करता है, विधि आयोग यह आशा करता है कि भारत सरकार द्वारा विधेयक को यथासंभव शीघ्र विधि में संपरिवर्तित किया जाए ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा)
सदस्य

ह0/-
(डा. (श्रीमती) पवन शर्मा)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(पी. के. मल्होत्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
पदेन सदस्य

उपाबंध

कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद का उन्मूलन (ईडीपीएएल) विधेयक, 2015

कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और अनेक कुटुम्ब के सदस्यों के लिए एक व्यापक संरक्षणात्मक व्यवस्था अधिनियमित करने ; किसी विभेद या समान व्यवहार से इनकार को समाप्त करने ; ऐसी विद्यमान विधियां जो ऐसे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और उनके अलगाव और विभेद को बढ़ावा देती हैं, को निरसित या संशोधित करने; राज्य को सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से इसके सकारात्मक दायित्व को निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए विधेयक,

पुनः प्रतिज्ञान करते हुए कि सभी मानव प्राणी स्वतंत्र पैदा हुए हैं और उनकी प्रति-ठा और अधिकार समान हैं ; और प्रत्येक जाति, लिंग, भा-ाा, धर्म, निःशक्तता या विरुपता, रा-ट्रीय या सामाजिक उद्भव, जन्म या अन्य प्रास्थिति जैसे किसी प्रकार की भिन्नता के बिना मानव अधिकारों के उपभोग के हकदार हैं ;

पुनः प्रतिज्ञान करते हुए कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्य किसी विभेद के बिना विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण सहित प्रति-ठा और मानव अधिकारों के धारक माने जाने के हकदार हैं ;

संयुक्त रा-ट्र कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद उन्मूलन संकल्प, 2011, संयुक्त रा-ट्र कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों के विरुद्ध विभेद उन्मूलन के लिए सिद्धांत और मार्गदर्शक, 2010 और संयुक्त रा-ट्र निःशक्ततायुक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय, 2006 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की बाध्यताओं का पुनःस्मरण करते हुए ;

कतिपय अप्रचलित और प्राचीन विधियों को निरसित करते हुए और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के समान और गैर-विभेदकारी बर्ताव के लिए नीतियां और मार्गदर्शक विरचित करते हुए इसमें वर्णित सिद्धांतों और मार्गदर्शकों पर सम्यक् विचार करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु;

अतः, अब भारत गणराज्य के पैंसठवें व-र्ा में यह अधिनियमित हों :-

अध्याय 1 : प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद का उन्मूलन अधिनियम, 2015 है ।

2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

3. यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभा-ााएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) "समुचित सरकारङ से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(त) केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपो-ित या छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा गठित किसी निकाय के संबंध में, केंद्रीय सरकार ; या

(त्त) किसी राज्य सरकार या इस धारा की उपधारा (2) जो इस उपधारा के खंड (त) के अधीन नहीं आती है, के अधीन

किसी अन्य स्थापन के संबंध में, राज्य सरकार ;

(2) "स्थापनङ से कोई कंपनी, क्लब, फर्म या कोई अन्य कारपोरेट निकाय या प्रतिफल के लिए या अन्यथा व्यवस्थित क्रियाकलाप करने के लिए संयुक्ततः व्यक्तियों का संगम अभिप्रेत और सम्मिलित है, किंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है :

(त) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन सहकारी सोसाइटी ;

(त्त) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समान राज्य विधि जिसके अधीन न्यासों की स्थापना की जा सकेगी, के अधीन न्यास ;

(त्त्त) केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या अन्यथा द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई संगठन या संस्था या प्राधिकरण;

(त्ध) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(त) के अधीन कोई उद्योग ; या

(ध) ऐसी दुकानों और स्थापनों से संबंधित राज्य अधिनियम द्वारा शासित कोई दुकान या स्थापन ;

(3) "कुष्ठरोग के कारण निःशक्तताङ- से हांथ, पैर या आंख में श्रेणी 1 या श्रेणी 2 निःशक्तता अभिप्रेत है, जो समाज में अन्य लोगों के साथ समानतः कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पूर्ण और प्रभावी सहभागिता में बाधा पहुंचाता है, चाहे निःशक्तता की उसकी सीमा मापयोग्य निबंधनों में विनिर्दि-ट की गई है या नहीं ;

स्प-टीकरण : (त) श्रेणी 1 निःशक्तता के अंतर्गत संवेदी

विकृतता, संकोचन रहित संवेदी विकृतता युक्त धब्बे या मांसपेशी कमजोर सम्मिलित है ।

(त्त) श्रेणी 2 निःशक्तता के अंतर्गत दृश्य विकृतता, लैगोफथालमोस, इरिडोसाइक्लाइटिस, इ6/60 दृश्य शूल, जलन, गहरी दरार, घाव (साधारण और गहरा व्रण दोनों), मांसपेशीय अपक्षय, लघुकरण या संकोचन का हड्डी अवशो-ाण सम्मिलित है।

(4) ''कुष्ठरोगङ्क से माइकोवैक्टीरियम लेपेर द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा रोग अभिप्रेत है जिसका लक्षण पीली और रक्तिम त्वचा, हांथ या पैर का सुन्नपन या त्वचा के एक भाग में स्पर्शबोध का अभाव है और जो इस धारा की उपधारा (3) के अधीन यथा परिभा-ित निःशक्तता की ओर प्रेरित करता है ;

(5) ''कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तिङ्क के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 या निःशक्त व्यक्ति से संबंधित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निःशक्त व्यक्ति की प्रतिशतता पर ध्यान दिए बिना कु-ठरोग द्वारा प्रभावित कोई व्यक्ति सम्मिलित है जिसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बहु-ओ-धि रोगोपचार के अधीन पहली खुराक दी जा चुकी है के रूप में प्रमाणित किया गया है, और जो उसकी बीमारी को असंसर्गी ठहराता है और ऐसे व्यक्ति का कु-ठरोग का उपचार चल रहा है या पूरा हो चुका है ।

(6) ''कुष्ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तिङ्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है और सम्मिलित है जो कु-ठरोग से ग्रस्त है या पहले ग्रस्त था या उपचारित हो चुका है चाहे ऐसा व्यक्ति बहु-ओ-धि रोगोपचार के अधीन उपचार प्राप्त किया है या नहीं ;

(7) ''बहु-ओषधि रोगोपचारङ्क (एमडीटी) - से ऐसा चिकित्सीय

उपचार अभिप्रेत है जिसमें माइकोवैक्टीरियम लेपेर को पहली खुराक से मारने हेतु संक्रमण को असंसर्गी बनाने के लिए कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति को ओ-धियों का सम्मिश्रण दिया जाता है ;

(8) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिनिर्देश से "उनके कुटुम्ब के सदस्यङ्ग से निम्नलिख अभिप्रेत है -

(त) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति का पति/पत्नी ;

(त्त) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति का माता/पिता ;

(त्त्त) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति के बच्चे ; और

(त्द्) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति के भाई या बहन ।

अध्याय 2 : समता और गैर-विभेद

समता और गैर-विभेद ।

3. (1) कोई व्यक्ति, स्थापन या सरकार कु-ठरोग के उसके क-ट या कु-ठरोग से उसकी निःशक्तता शारीरिक लक्षण या उसके सहवास के किसी अन्य प्ररुप से संबंधित किसी आधार पर कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा ।

(2) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्य समान आधार पर भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं सहित सभी मानव अधिकारों की मान्यता, उपभोग और प्रयोग के हकदार होंगे ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन ।

4. अनुसूची 1 में परिगणित कानूनों और उपबंधों को निरसित किया जाता है ।

कतिपय अधिनियमितियों

5. अनुसूची 2 के स्तंभ 1 में परिगणित कानून और उपबंध

का संशोधन

अनुसूची 2 के स्तंभ 2 के संबद्ध प्रवि-िटयों के अनुसार संशोधित हो जाएंगे ।

कतिपय विधियों का अवधिमान्य होना ।

6. ऐसी विधियां जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में परिगणित नहीं हैं चाहे वे केंद्रीय या राज्य विधियां हो और जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद करती है, वहां तक अविधिमान्य हैं जहां तक ऐसी विधियां कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद करती है ।

दृ-टांत

कुष्ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति स्न्क॰ जिसे भीख मांगते हुए पाया जाता है, को एकमात्र कु-ठरोग के उसके रोग के कारण राज्य भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार और निरुद्ध किया गया । इस धारा के प्रवृत्त होने पर, राज्य भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के अधीन कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध का ऐसा कोई उपबंध अविधिमान्य हो जाएगा। स्न्क॰ की गिरफ्तारी और निरोध अविधिमान्य होगा ।

कतिपय निबंधनों का प्रतिस्थापन ।

7. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी ऐसी सभी विधियों जो प्रवृत्त हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन परिभाषित स्थापनों में स्न्कुष्ठरोगी॰ पद और रा-ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय भा-ाा में अन्य ऐसे पदों के स्थान पर स्न्कुष्ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति॰ पद या राष्ट्रीय प्रादेशिक या स्थानीय भा-ाा का कोई अन्य पद जो समतुल्य है, रखा जाएगा ।

अध्याय 3 : कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार

अधिकारों को कायम रखने

8. (1) कोई सरकार, स्थापन या व्यक्ति इस अध्याय के अधीन कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को

का कर्तव्य ।

उन्हें गारंटीकृत किसी अधिकार से वंचित नहीं करेगी ।

(2) इस अध्याय के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित सरकार द्वारा सभी विधायी, प्रशासनिक और अन्य आवश्यक उपाय किया जाएगा ।

स्वास्थ्य और उपचार का अधिकार ।

9. (1) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति को बहु-ओ-धि रोगोपचार के अधीन कु-ठरोग के उपचार के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ।

(2) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों को अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सहित प्राप्ति का अधिकार होगा किंतु जो पुनर्संरचना शल्य चिकित्सा और दवा तक सीमित नहीं है ।

चिकित्सा अभिलेख का प्रकटन ।

10. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के कु-ठरोग और उनके कुटुम्ब के सदस्यों से संबंधित चिकित्सा अभिलेख को गोपनीय माना जाएगा और किसी व्यक्ति या स्थापन को तब तक प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक :

(1) ऐसे प्रकटन के बारे में प्रभावित व्यक्ति की पूर्व ज्ञात सहमति अभिप्राप्त कर ली गई है ; या

(2) ऐसी सहमति के बिना ऐसा प्रकटन विधि द्वारा प्राधिकृत है ।

संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार ।

11. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसे व्यक्ति के कु-ठरोग द्वारा प्रभावित होने के कारण मात्र से संपत्ति के स्वामित्व, या किसी संपत्ति में बसने, क्रय करने, किराए पर लेने, उपयोग करने या अन्यथा अधिभोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ।

सार्वजनिक माल और सेवाओं तक पहुंच रखने का अधिकार ।

12. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित या जनता को प्रथागत उपलब्ध किसी माल, आवास, सेवा, सुविधा, फायदा, विशे-ाधिकार या अवसर चाहे विनिर्दि-ट फीस है या नहीं, जिसके अंतर्गत दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या कुएं, तालाब, स्थान घाट, सड़क, कब्रिस्तान या अंत्येि-टि संस्कार या सार्वजनिक विश्राम स्थल का उपयोग सम्मिलित है, की पहुंच या उपभोग या उपभोग के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ।

संचलन का अधिकार ।

13. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को सभी या किसी सार्वजनिक परिवहन में संचलन या सभी या किसी यान के लिए चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के अधिकार से कु-ठरोग द्वारा प्रभावित होने के कारण वंचित नहीं किया जाएगा ।

शिक्षा का अधिकार ।

14. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी संस्था में शिक्षा और प्रशिक्षण अवसर जिसके अंतर्गत किसी संस्था में अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण जारी रखने या पुनः आरंभ करने का अधिकार सम्मिलित है, के अधिकार, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसा सम्यक् प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जो यह अनुप्रमाणित करता हो कि ऐसे प्रभावित व्यक्ति को बहु-ओ-धि रोगोपचार के अधीन पहली खुराक दी जा चुकी है और भारत सरकार या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथा अनुमोदित कु-ठरोग के लिए उपचार या ऐसा कोई समरुप उपचार चल रहा है या पूरा हो चुका है, से वंचित नहीं किया जाएगा ।

रोजगार का अधिकार ।

15. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसा सम्यक् प्रमाणपत्र, जो यह अनुप्रमाणित करता हो कि ऐसे व्यक्ति को बहु-ओ-धि रोगोपचार के अधीन, पहली खुराक दी जा चुकी है और कु-ठरोग का उपचार चल रहा है या उपचार पूरा हो चुका है प्रस्तुत करने के पश्चात् लोक पद या प्राइवेट रोजगार पर यथास्थिति, नामनिर्दि-ट किए जाने, चयनित या चुने जाने या अपनी नियुक्ति पर बने रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ।

कुटुम्ब गठित करने का अधिकार ।

16. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को विवाह करने और कुटुम्ब गठित करने जिसके अंतर्गत दत्तक ग्रहण या सहायक प्रजनन (जिसके अंतर्गत दाता गर्भधारण है) की पहुंच है, के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 3 : सकारात्मक कार्रवाई के उपाय

उपाय करने का कर्तव्य ।

17. धारा 8 के अधीन वर्णित बाध्यताओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उनके अलावा, समुचित सरकार इस अध्याय में विनिर्दि-ट सभी उपाय करेगी ।

स्वास्थ्य संबंधी उपाय ।

18. समुचित सरकार कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सभी उपाय करेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा किंतु यहीं तक सीमित नहीं होगी :

(1) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के लिए ऐसे जागरुकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो कु-ठरोग के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की निःशक्तता को कम करने के

लिए बहु-ओ-धि रोगोपचार के माध्यम से शीघ्र उपचार के महत्व पर बल देता है ;

(2) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रोटोकाल की विरचना ;

(3) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य प्रास्थिति को सुधारने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुलभ कराना जिसमें पुनर्संरचना शल्य क्रिया और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के लिए माल और सेवाएं सम्मिलित हैं ;

(4) स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय आचरण ;

(5) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को सर्वोत्तम स्तर का स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु समर्थ बनाने के लिए नीतियों का अंगीकरण और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम ;

(6) अनैतिक या अनैच्छिक चिकित्सीय प्रक्रिया या अनुसंधान जिसके अंतर्गत अंत्य या ऐसे अन्य रोगों के लिए टीका, उपचार या माइक्रोबाइसाइड्स से संबंधित पाते हैं, के विरुद्ध कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों का संरक्षण ; और

(7) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए उनकी निःशक्तता, शारीरिक लक्षण

या कु-ठरोग के उनके संयोजन के किसी अन्य प्ररुप के कारण झेले जाने वाले उनके आघात पर विजय पाने के लिए उनकी सहायता हेतु चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार और सलाह प्रदान करना ।

स्वामित्व और हक संबंधी उपाय ।

19. (1) समुचित सरकार कु-ठरोग कालोनियों में रह रहे कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए कालावधि की सुरक्षा, संपत्ति का हक और स्वामित्व उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी ।

(2) कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को, यथास्थिति, केंद्रीय या राज्य कु-ठरोग आयोग की पूर्व अनुशास्ति के बिना और पुनवर्सित और पर्याप्त प्रतिकर दिए बिना विद्यमान कु-ठरोग कालोनियों से हटाया या नि-कासित नहीं किया जाएगा ।

समाज कल्याण से संबंधित उपाय ।

20. समुचित सरकार कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए समाज कल्याण से संबंधित निम्नलिखित उपाय करेगा जिसमें निम्नलिखित होगा किंतु यहीं तक सीमित नहीं होगा :

(1) विशे-ा वित्तीय पैकेज की विरचना जो उपचार के दौरान और इसके पश्चात् कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए आजीविका और पर्याप्त गृह निर्माण के साधन उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित किए गए हैं ;

(2) समुदाय - आधारित पुनर्वास मंच का गठन और स्थापन ;

(3) पड़ोसी सहयोग और सुरक्षा के लिए स्कीमों का

उन्नयन ;

(4) सामाजिक सुरक्षा और अन्य सामाजिक संरक्षण उपाय जिसके अंतर्गत रोजगार फायदे, पितृत्व छुट्टी, बेरोजगार फायदे, स्वास्थ्य बीमा या अन्य सामाजिक बीमा, कुटुम्ब फायदे, अन्त्येि-टि फायदे, पेंशन और कु-ठरोग के कारण बीमारी या मृत्यु के परिणामस्वरूप पति/पत्नी या सहयोगी की सहायता की हानि से संबंधित फायदे हैं और गरीबी कम करने की रणनीति और कार्यक्रमों तक पहुंच बनाना ; और

(5) प्रभावित व्यक्तियों के विभेद, जो अलगाव, बेघर और मानसिक आघात की उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है से संबंधित कारकों से निपटने के लिए सामाजिक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत समर्थन कार्यक्रम है, का प्रवर्तन ।

शिक्षा और रोजगार से संबंधित उपाय।

21. समुचित सरकार कु-ठरोग द्वारा प्रभावित ऐसे व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित निम्नलिखित उपाय करेगी जिन्हें या तो कु-ठरोग का उपचार प्रदान किया जा चुका है या जिन्हें बहु-ओ-धि रोगोपचार के अधीन पहली खुराक दिए जाने की बावत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक् प्रमाणपत्र दिया जा चुका है और कु-ठरोग द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्य का कु-ठरोग का उपचार चल रहा है और जिसमें यह सम्मिलित होगा किंतु यहीं तक सीमित नहीं होगा :

(1) ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, जो ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है जो उनकी संपूर्ण क्षमता और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यक्तियों के व्यक्तित्व, प्रतिभा तथा मानसिक और शारीरिक योग्यता के अनुसार है, का

क्रियान्वयन ; और

(2) सभी स्तर की सरकारी सेवा और सार्वजनिक संस्थाओं में रोजगार सहित सार्वजनिक सेवा के सभी क्षेत्रों में रोजगार और प्रगति के अवसर की सुगम्यता ।

अन्य उपाय ।

22. समुचित सरकार कु-ठरोग द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के हित में निम्नलिखित अन्य उपाय करेगा जिसमें यह सम्मिलित है किंतु यहीं तक सीमित नहीं होगा :

(1) कु-ठरोग के परिवर्ती भ्रामक धारणाओं को दूर करने के लिए सामाजिक जागरुकता कार्यक्रमों का प्रवर्तन और बहु-ओ-धि रोगोपचार के माध्यम से इसके उपाय की बावत जानकारी फैलाना ;

(2) विभेद, पक्षपात और अन्य सामाजिक कारक जो कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के उनकी निःशक्तता, शारीरिक लक्षण के कारण उनके स्वास्थ्य का क्षीण करता है, से निपटने के लिए विशे-ा कार्यक्रमों का प्रवर्तन ; और

(3) रोग द्वारा उन प्रभावित और सहयोजित व्यक्तियों की आवश्यकता से संबंधित जागरुकता लाने के लिए सभी स्थापनों और संस्थाओं सहित में, किंतु जो विद्यालयों और अस्पतालों तक सीमित नहीं है, प्रशिक्षण और जागरुकता पैदा करने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

नीतियों की विरचना में सहभागिता ।

23. कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति उनके कल्याण को प्रभावित करने वाली नीतियों की विरचना में भाग लेने के हकदार होंगे ।

प्रशासन ।

24. (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के 12

महीनों के भीतर अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी स्थापनों जिसके लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है, की बावत इस अधिनियम के अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करने और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करने के लिए एक केंद्रीय कु-ठरोग आयोग का गठन करेगी ।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के 12 महीनों के भीतर अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी स्थापनों जिसके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, की बावत इस अधिनियम के अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करने और राज्य सरकार को इस अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करने के लिए एक केंद्रीय कु-ठरोग आयोग का गठन करेगी ।

अध्याय 5 : प्रवर्तन और उपचार

अधिनियम के अधीन उपबंधों, नियमों या उपायों का अननुपालन ।

25. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, इस अधिनियम के भाग 3 या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अतिक्रमण या अननुपालन से व्यथित कु-ठरोग द्वारा प्रभावित कोई व्यक्ति या उसके कुटुम्ब का सदस्य या उनकी ओर से सद्भाविक रूप से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उस जिला न्यायालय में संबद्ध व्यक्तियों या स्थापनों के विरुद्ध याचिका संस्थित कर सकेगा जिसकी अधिकारिता में उक्त व्यक्ति साधारणतः निवास करता है या जहां अतिक्रमण या अननुपालन का होना अभिकथित है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध ऐसी कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

विधिक

26. (1) जहां इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन व्यथित

सहायता ।

व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में स्वयं का प्रतिनिधित्व करने हेतु विधिक व्यवसायी लगाने में असमर्थ है या उसके पास लगाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन समुचित विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा ।

(2) इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन याचिका फाइल करने वाले कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति और उनके कुटुम्ब के सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सेवा के हकदार व्यक्ति समझे जाएंगे ।

अननुपालन के लिए दायित्व ।

27. धारा 25 के अधीन किसी याचिका में, जहां न्यायालय यह पाता है कि किसी व्यक्ति या स्थापन ने इस अधिनियम के उपबंधों का भंग किया है या पालन नहीं किया है तो वह कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्य को मुकदमेबाजी में उपगत सभी खर्चों के साथ पचीस हजार रुपए से अन्यून प्रतिकर और नुकसानी अधिनिर्णीत करेगा ।

अध्याय 6 : प्रकीर्ण

निदेश देने की शक्ति ।

28. समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति या स्थापन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जैसा वह ठीक समझे ऐसे निदेश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति या स्थापन ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

जानकारी मांगने की शक्ति ।

29. समुचित सरकार किसी व्यक्ति या स्थापन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसी जानकारी मांग सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

30. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ;

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोइ परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नि-प्रीव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या नि-प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

31. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कठिनाई पैदा होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र के प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो व-र्ा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

कतिपय विधियों का लागू होना ।

32. इस अधिनियम के उपबंध निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 या निःशक्त व्यक्ति वि-ायक किसी विधि के अतिरिक्त होंगे न

कि इसके अल्पीकरण में ।

अधिनियम का अभिभावी होना ।

33. इस अधिनियम के उपबंध किसी अधिनियमितिय में या विधि का बल रखने वाले लिखत में अंतर्वि-ट असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

अनुसूची - 1 निरसित उपबंध और अधिनियम

(1) कु-ठरोगी अधिनियम, 1898 पूर्णतः का निरसन ;

(2) विशे-ा विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 की उपधारा (छ) का निरसन ;

(3) मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 की उपधारा (त्द्ध) का निरसन ;

(4) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (1) का खंड (त्द्ध) का निरसन ;

(5) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 की उपधारा (1) का खंड (त्द्ध) का निरसन ;

(6) हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पो-ाण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (2) का खंड (ग) का निरसन ।

अनुसूची 2 - संशोधन

विधान (1)	**संशोधन (2)**

(1) विधिक सेवा अधिनियम, 1987

धारा 12 के उपखंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(घघ) ऐसा व्यक्ति जो कु-ठरोग से ग्रस्त है या पहले ग्रस्त रहा है या उपचारित हो चुका है ; या

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988

अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपधारा (4) के प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

परंतु यह और कि अनुज्ञप्तिकर्ता प्राधिकारी कु-ठरोग द्वारा प्रभावित ऐसे व्यक्ति को सीखने की अनुज्ञप्ति जारी करने से इनकार नहीं करेगा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वह या तो कु-ठरोग द्वारा उपचारित हो चुका है या बहु-औ-धि रोगोपचार के अधीन पहली खुराक दी जा चुकी है और कु-ठरोग का लगातार उपचार किया जा रहा है ।